ISSN No 2347-7075
Impact Factor- 7.328
Volume-3 Issue-7

INTERNATIONAL JOURNAL of ADVANCE and APPLIED RESEARCH

Publisher: P. R. Talekar
Secretary,
Young Researcher Association
Kolhapur(M.S), India

Young Researcher Association

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.3 Issue-7 Nov -Dec - 2022

International journal of advance and applied research (IJAAR)

A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal

Volume-3 *Issue-7*

Chief Editor
P. R. Talekar
Secretary,
Young Researcher Association, Kolhapur(M.S), India

Editorial & Advisory Board

Dr. S. D. Shinde	**Dr. M. B. Potdar**	**Dr. P. K. Pandey**
Dr. L. R. Rathod	Mr. V. P. Dhulap	Dr. A. G. Koppad
Dr. S. B. Abhang	Dr. S. P. Mali	Dr. G. B. Kalyanshetti
Dr. M. H. Lohgaonkar	Dr. R. D. Bodare	Dr. D. T. Bornare

Published by: Young Researcher Association, Kolhapur, Maharashtra, India

The Editors shall not be responsible for originality and thought expressed in the papers. The author shall be solely held responsible for the originality and thoughts expressed in their papers.

© All rights reserved with the Editors

International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.3 Issue-7 Nov-Dec-2022

CONTENTS

Sr No	Paper Title	Page No.
1	राजर्षी शाहू महाराज यांचे सामाजिक विचार व कार्य : एक अध्ययन **प्रा. शिवचरण नामदेव धांडे**	1-3
2	भारतीय साहित्य के आधुनिक काल में राष्ट्रीय चेतना **डॉ आशा कुमारी**	4-6
3	राईट टू रिकॉल: लोकशाहीच्या यशासाठी प्रभावी हत्यार **शिंदे काळुराम दामु**	7-11
4	सम्पोषित विकास: सिद्धान्त एवं चुनौतियाँ **डॉ गौरव कुमार मिश्र**	12-15
5	अनुसूचित जाति की महिलाओं के शिक्षा एवं निर्धनता की स्थिति: एक अध्ययन **प्रियंका प्रिया,डॉ विश्वनाथ झा**	16-19
6	जलवायु परिर्वतन का जैव विविधता पर प्रभाव (ग्वालियर-चम्बल संभाग के संदर्भ में) **संजीव दोहरे,डॉ शैलेन्द्र सिंह तोमर**	20-25
7	"हिन्दी साहित्य का विविध युग और हिन्दी आलोचना" **डॉ. भीमसिंग के राठोड**	26-28
8	चंद्रपूर जिल्हयातील आंबेडकर चळवळीत महिलांचे योगदान प्रा. डॉ. बि.आर.मस्के, प्रा. प्रफुल एम. राजुरवाडे	29-31

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.3 No.7 Nov – Dec 2022

राजर्षी शाहू महाराज यांचे सामाजिक विचार व कार्य : एक अध्ययन

प्रा. शिवचरण नामदेव धांडे
इतिहास विभाग प्रमूख, स्व.निर्धन पाटील वाघाये कॉलेज एकोडी,जि.भंडारा.
Corresponding Author- **प्रा. शिवचरण नामदेव धांडे**
Email- shavicharandhande@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.7426151

प्रस्तावना :

आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडीत ज्यांचे विचार आणि कार्ये मोलाचे ठरले, महाराष्ट्रातील सामाजिक क्रांतीच्या वाटचालीत राजर्षी शाहू महाराजांचे स्थान महत्वाचे ठरते. महाराष्ट्राचा भाग्यविधाता, अस्पृश्योद्धारक, स्त्री शिक्षणाचे खंदे पुरस्कर्ते, मराठी रंगभूमीचा शिल्पकार, शास्त्रीय संगीताचा उत्साही रसिक, मल्ल विद्येचा प्रमुख आधारस्तंभ, एक लोकाभिमूख राजा, सामाजिक समतेचे पुरस्कर्ते अशा अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचे धनी असलेले राजर्षी शाहू महाराज यांचे सामाजिक क्षेत्रातील योगदान अनन्य साधारण असे आहे. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्याच्या माध्यमातून बहुजन समाजाला जागृत करुन त्यांची सर्वांगिन प्रगती घडवून आणणारे प्रजाहितदक्ष सत्ताधिश म्हणजे राजर्षी शाहू महाराज होत. बहुजन समाजाचा विकास हा ध्यास डोळयासमोर ठेवून त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि झेप असामान्य होती. विशेषतः संस्थानातील दलित आणि स्त्रियां यांच्या विकासासाठी त्यांनी केलेले कायदे व घेतलेले निर्णय क्रांतीकारी स्वरुपाचे होते. महात्मा फुले यांच्यानंतर समता टिकवून ठेवण्याचे कार्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी केले. त्यांनी आपल्या विचाराला कृतीची जोड दिली. म्हणुनच एक कर्ते समाजसुधारक म्हणून त्यांना ओळखले जाते. एक लोकनायक राजा म्हणून त्यांनी दिलेले सामाजिक योगदान सर्वच राज्यकर्ते व भावी पिढ्यांना मार्गदर्शक व प्रेरणादायी ठरणारे आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधात त्यांच्या विचारांचा आणि कार्याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे :-

1) राजर्षी शाहू महाराजांचे सामाजिक विचार समजून घेणे.
2) राजर्षी शाहू महाराजांनी केलेल्या सामाजिक कार्याचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत शोधनिबंध तयार करण्यासाठी दुय्यम तथ्य-संकलन पद्धतीचा अवलंब केलेला असून लिखीत स्वरुपात उपलब्ध असलेल्या माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यासाठी संदर्भग्रंथ, क्रमीक पुस्तके, वर्तमानपत्रे इत्यादीचा आधार घेवून विश्लेषणात्मक मांडणी करण्यात आलेली आहे.

राजर्षी शाहू महाराज यांचे सामाजिक विचार :

राजर्षी शाहू महाराजांचे सामाजिक विचार समाजाच्या प्रगतीला दिशा देणारे उरतात. त्यांनी आपल्या संस्थानात सामाजिक न्याय प्रस्तापित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. सामान्य जनतेस न्याय मिळाला पाहीजे व कायद्यासमोर सर्वजन समान असले पाहीजेत यासाठी क्रांतीकारक व पुरोगामी निर्णय घेतले. सामाजातील श्रेष्ठ-कनिष्ठ भेदभाव नष्ट करुन त्यांनी समतेच्या कार्याला गती दिली. त्यांनी आपल्या विचारांना कृतीची जोड दिल्यामुळेच त्यांचे विचार आणि कार्ये प्रभावी ठरतात.

विशेषतः राजर्षी शाहूचे शिक्षणविषयक विचार हे मुलगामी ठरतात. शिक्षणाशिवाय बहुजन समाजाला तरणोपाय नाही हे महात्मा फुले यांनी ओळखले होते. या धोरणाचा स्वीकार राजर्षी शाहूनी केला. बहुजन समाजाच्या उद्धारासाठी शिक्षण हे प्रभावी माध्यम आहे. हे ओळखून शाहूनी शिक्षण प्रसाराला प्राधान्य दिले. विशेषतः स्त्रिया आणि दलितांना शिक्षण मिळाले पाहीजे यावर त्यांचा भर होता. बहुजन समाजाला उच्चपदावर काम करण्याची संधी द्यायची असेल तर त्यांना साक्षर करणे गरजेचे आहे असे राजर्षी शाहू म्हणत. ब्राम्हणेत्तर बहुजन समाज, दलित, दिनदुबळे यांची

उन्नती करणे म्हणजेच खऱ्या अर्थाने देशाची उन्नती करणे होय, असे त्यांचे ठाम मत होते. स्वराज्यातून सुराज्य निर्माण झाले पाहिजे. कारण स्वराज्याचा फायदा मुठभर लोकांनाच होवू शकतो म्हणून त्यांनी सुराज्यास पसंती दिली. म्हणून त्यांचे दलित स्त्रिया, बहुजनवर्ग, अस्पृश्योद्धार, आरक्षण, शिक्षण इत्यादी बाबतचे विचार समाज प्रगतीला विधायक दिशा देणारे ठरतात, असे म्हणता येईल.

राजर्षी शाहू महाराजांच्या सामाजिक सुधारणा व कार्ये :

1) आरक्षण धोरण :

राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक समतेसाठी आरक्षणाचे धोरण राबविले. तत्कालीन कोल्हापूर संस्थानमध्ये ब्राम्हण सर्वाधिक साक्षर असल्यामुळे अधिकारपदांचा मोठा वाटा ब्राम्हणांना मिळालेला होता. परंतू मराठा कुणबी व इतर जातीमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण कमी असल्यामुळे संस्थानच्या दरबारात व प्रशासनात एका विशिष्ठ जातीचेच प्राबल्य वाढले होते. हे ओळखून राजर्षी शाहूनी शिक्षणाला अग्रक्रम दिला. आरक्षण धोरण राबविले व मागासलेल्या जातीच्या पुनरुत्थानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. 26 जून 1902 रोजी त्यांनी एक जाहीरनामा प्रसिद्ध करून त्यात सर्वांना समान शिक्षण व संस्थानातील रिकाम्या झालेल्या जागांपैकी 50% जागा मागासलेल्या लोकांसाठी राखीव राहतील, असे जाहीर केले. राजर्षी शाहूनी मागास लोकांना शिक्षण मिळण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आरक्षण धोरणांचा निर्णय घेतला व त्याची अंमलबजावणी केली.

2) अस्पृश्योद्धार:

राजर्षी शाहूच्या समाजसुधारणेतील एक क्रांतीकारी पाऊल म्हणजे अस्पृश्योद्धारांचे कार्य होय. कारण तत्कालीन परिस्थितीत समाजात स्पृश्य-अस्पृश्यतेचे स्तोम वाढलेले होते. मागास जातीना अस्पृश्य मानून त्यांना स्वातंत्र्य नाकारले जात होते. परंतू राजर्षी शाहूनी अस्पृश्योद्धारासाठी चळवळ उभी केली व युगानुयुगाच्या सामाजिक गुलामगिरीतून त्यांना मुक्त करण्यासाठी क्रांतीकारी पाऊल उचलले. त्यांनी 22 ऑगस्ट 1919 रोजी अस्पृश्यता निवारणाबाबतचा जाहीरनामा काढला. त्यानुसार संस्थानातील महसूल, न्याय, शिक्षण, दवाखाने व सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यता पालन करण्यास मनाई केली. त्यांनी महार वतने रद्द करुन त्यांना जमिनी नावे केल्या. अस्पृश्यांना खाजगी व सरकारी नोकऱ्यात स्थान देण्याचा प्रयत्न राजर्षी शाहूनी केला. गंगाराम कांबळे या अस्पृश्य जातीतील व्यक्तीला त्यांनी चहाचे हॉटेल उघडून दिले. त्यामध्ये ते स्वतः चहा घेण्यासाठी जात असत अस्पृश्यासाठी मोठी पदं मिळवून देण्याचा त्यांचा निर्णय तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीत ऐतिहासिक ठरला. असे म्हणता येईल.

3) समाजातील भटक्या विमुक्तांचा उद्धार :

अस्पृश्योद्धाराबरोबरच समाजातील भटक्या-विमुक्त जातीच्या उद्धारांचे कार्ये शाहू महाराजांनी हाती घेतले. तत्कालीन परिस्थितीत भटक्या व विमुक्त जातीना देखील समाजात विशेष असे स्थान नव्हते. अत्यंत हलाखीच्या अवस्थेत जीवन जगणाऱ्या भटक्या-विमुक्तांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न शाहू महाराजांनी केला. सतत भटकंती करून दारिद्र्यात जीवन जगणाऱ्या या जातीना शाहूनी जागा देवून एका ठिकाणी स्थीर केले. त्यांना मालकीचे घर देवून समाजाच्या प्रवाहात आनले. त्यांना त्यांच्या व्यवसायांसाठी मदत देवून सक्षम बनविले. भटक्या-विमुक्तांना गुन्हेगारीपासून परावृत्त करण्यासाठी काहीना नोकऱ्या दिल्या. काहीना कुस्तीगीर बनविले व सामाजिक जीवन जगण्यास मदत केली.

4) बहुजनांसाठी शिक्षण :-

'शिक्षण' हे समाजसुधारणेचे प्रभावी माध्यम आहे. हे ओळखून राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात शिक्षण प्रसाराला प्राथमिकता दिली. तत्कालीन परिस्थितीत देखील ब्राम्हणेतर बहुजन समाजातील लोकांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे अज्ञान, अंधश्रद्धा व निरक्षरतेचे प्रमाण वाढलेले होते. परंतू शाहू महाराजांनी 1916 साली सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाचा कायदा पास करुन तो कोल्हापूर संस्थानात लागू केला. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले. शिक्षणात स्पृश्य-अस्पृश्य असा भेदभाव न करता सर्वांना समानतेचे शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी शाहू महाराजांनी सक्त ताकीद देवून एकूण महसुलांच्या 6% खर्च शिक्षणावर केला. उच्च शिक्षणाचीही सोय केली. त्यांनी कोल्हापूर शहरात मराठा, जैन, लिंगायत, अस्पृश्य, सारस्वत, देवश, शिंपी, मुस्लीम इत्यादी बहुजनांच्या

मुलांसाठी वसतीगृहाची निर्मिती केली. त्यांना राहण्याची व जेवनाची सोय केल्याने बहुजातील अनेक मुले मुली शिक्षण घेवू लागते. अस्पृश्य जातीमा मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्या वसतिगृहे उपलब्ध करुन दिल्याने शिक्षणाचे प्रमाण वाढले व समाजसुधारणेला गती मिळाल्याचे दिसून येते.

5) जातीभेद निर्मूलन :

'अस्पृश्यता' हा मानव जातीला लागलेला कलंक असून, तो जातीभेदातूनच निर्माण होतो. याची जाणीव शाहू महाराजांना होती. तो दूर करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्याकाळी रोटी-बेटी व व्यवसायबंदी हे निर्बंध होते. त्याला महाराजांनी विरोध केला. आपल्या संस्थानात त्यांनी आंतरजातीय विवाहास कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा लागू केला. जातीव्यवस्थेने घातलेली व्यवसायबंदी उठवून सर्वांना व्यवसाय स्वातंत्र्य मिळवून दिले. बलुतेदारी प्रथा नष्ट केली. त्यामुळे जातीभेदाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत मिळाली.

6) स्त्रीकल्याणविषयक कार्ये :

राजर्षी शाहू महाराज यांनी श्री कल्याण विषयक कार्यातही योगदान दिल्याचे दिसून येते. कारण तत्कालीन परिस्थितीत की ही अस्पृश्यासमानच जीवन जगत होती. वंचीत, उपेक्षित व मागासलेल्या अवस्थेत पुरुषी अत्याचाराला खिया बळी पडत होत्या. त्या शिक्षण व स्वातंत्र्यापासून दूर होत्या. बालविवाह, विधवा विवाह प्रतिबंध, पडदापद्धती, केशवपन, अज्ञान, अंधचद्धा, अनिष्ठ रुढी, प्रथा, परंपरा इत्यादीमुळे स्त्रीयांचे जीवन असह्य बनले होते. हे लक्षात घेवून शाहू महाराजांनी श्री शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले. तिच्या नैसर्गिक हकाचे संरक्षण करणारे कायदेही पास केले. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, विधवापुनर्विवाह कायदा, आंतरजातीय विवाह कायदा, देवदासी प्रथा बंदीचा कायदा इत्यादी कायदे करुन त्या अर्थाने खियांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न राजर्षी शाहू महाराजांनी केला. अशाप्रकारे, राजर्षी शाहू महाराज यांनी केलेले कार्य समाजाला योग्य दिशा देणारे ठरते असे म्हणता येईल.

निष्कर्ष :

1) राजर्षी शाहू महाराज यांचे सामाजिक विचार क्रांतीकारी स्वरुपाचे होते.

2) राजर्षी शाहू महाराज यांचे विविध क्षेत्रातील योगदान भारतीय समाजाला दिशादर्शक ठरणारे आहे.

समारोप :

अशाप्रकारे, राजर्षी शाहू महाराज हे एक थोर समाजसुधारक व भविष्याचा अचूक वेध घेणारे महापुरुष ठरतात. खरे तर महापुरुष हे ते ज्या काळात जन्मले आणि वाढले त्या काळाचे अपत्य असतात. अवतीभोवतीच्या परिस्थितीमुळे पडणाऱ्या स्वाभाविक मर्यादावर मात करुन ते समाजाला किती पुढे नेतात आणि कोणती दिशा दाखवतात यावर त्यांच्या मोठेपणाचे मूल्यमापन करावयाचे असते. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांचे सामाजिक योगदान दिपस्तंभाप्रमाणे प्रखर आणि हिमालयांच्या उंचीचे ठरते असे म्हणने बावगे ठरणार नाही.

संदर्भ ग्रंथ:

1) डॉ. विलास संगवे राजर्षी शाहू महाराज कार्य व प्रभाव

2) डॉ. नारायण कांबळे राजर्षी शाहू नव्या दिशा, नवे चिंतन

3) डॉ. भाऊराव खांडेकर राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथ.

4) डॉ. धनंजय कीर राजर्षी शाहू छत्रपती. डॉ. जयसिंगराव पवार राजर्षी शाहू छत्रपती जीवन व कार्ये,

5)डॉ.जयसिंगराव पवार- राजश्री शाहू ,छत्रपती - जीवन व कार्ये

8) दैनिक सकाळ, लोकसत्ता लोकमत इत्यादी.

प्रा. शिवचरण नामदेव धांडे

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.3 No.7 Nov – Dec 2022

भारतीय साहित्य के आधुनिक काल में राष्ट्रीय चेतना

डॉ. आशा कुमारी
सहायक प्रोफ़ेसर आई०ई०सी० विश्वविद्यालय, बद्दी, हिमाचल प्रदेश
Corresponding Author- **डॉ. आशा कुमारी**
DOI- **10.5281/zenodo.7426201**

प्रस्तावना :

वैदिक काल से ही भारतीय साहित्य में 'राष्ट्र' जैसे विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता रहा है | जिस प्रकार साहित्य का मानव जीवन से गहरा नाता है ठीक उसी तरह राष्ट्र से समाज का गहन सम्बन्ध है | "देश भक्ति का उद्वेलन कभी समर्पण तो कभी आंदोलन का रूप धारण कर लेता है, जिससे व्यक्ति के स्वत्व से लेकर राष्ट्र तथा देश की स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण तक के भाव समाविष्ट होते हैं।"[i] राष्ट्र को आधुनिक संकल्पना में नहीं रखा जा सकता क्योंकि राष्ट्र का सम्बन्ध प्राचीनतम है | हम कह सकते हैं कि राष्ट्र हमारी सांस्कृतिक विरासत है | यह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है | राष्ट्र का हमारी संस्कृति से घनिष्ठ सम्बन्ध है | साहित्य भी इसी संस्कृति का हिस्सा है और एक-दूसरे के साथ परस्पर गुथे हुए हैं | यह एक कड़ी है जिसमें जनमानस के भीतर राष्ट्रीय चेतना को जगाने एवं सुदृढ़ करने में मदद मिलती है | साहित्य में हमेशा से राष्ट्रीय चेतना अग्रणी भूमिका में रही है | भारत देश में रष्ट्रीय चेतना सदैव विद्यमान रही है इसके बिना कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता |

राष्ट्रीय चेतना राष्ट्र की उन्नति का मूल मंत्र है | समस्त मानव जाति के विकास में राष्ट्रीय भावना की अहम भूमिका रहती है | भारतीय राष्ट्रीयता ने अध्यात्म, दर्शन तथा साहित्य के माध्यम से नव जागरण एवं नव चेतना का संचार किया है | "राष्ट्रीय संचेतना को झकझोरने वाला काव्यजन मानस को आंदोलित कर नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का साहस भरता है | उन मूल्यों को महत्त्व देने के लिए प्रेरित करता है, जिनमें हिंसा, घृणा को नकारकर एक उन्मुक्त वातावरण उत्पन्न किया जा सके और जिसमें सभी धर्म निश्चिन्त होकर सांस ले सकें | यदि प्रत्येक राष्ट्र-धर्मी काव्य अपने समाज के अंदर व्यापक उदात्त-भाव और रचनात्मक संस्कार उत्पन्न कर सकें, तो निश्चय ही ऐसा काव्य मानव के कल्याण के लिए होगा | अर्थात् राष्ट्रीय-काव्य मूलतः मानवतावादी काव्य ही है |"[ii] भारतीय साहित्य का आधुनिक काल राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है | इस युग में ऐसे अनेक समाजसेवी, राष्ट्रप्रेमी हुए हैं, जिन्होंने भारत की रक्षा, उसकी एकता एवं अखंडता के लिए अपना विशिष्ट योगदान दिया | वहीँ कई लेखकों ने अविरल गति से अपनी काव्यात्मक दृष्टि द्वारा जनमानस की पीड़ा को अभिव्यक्त करने का बीड़ा उठाया | इन लेखकों ने देश की दुर्दशा को देखते हुए अपनी कलम के माध्यम से तीखे प्रहार कर विरोधियों की नींव हिलाकर रख दी थी | समाजसेवियों, वीर सपूतों ने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी | इस युग तक देश की हालत बेहद दयनीय थी | विरोधियों की कूट नीतियों से भारतीय जनता त्रस्त थी | भारतवासियों की व्याकुलता, बेबसी एवं त्रस्तता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक युग के कवियों ने अपनी काव्यधारा को प्रवाहित कर लोगों में जागरूकता का संदेश फैलाया | लोगों के भीतर साहस, नयी ऊर्जा, नया जोश और उम्मीद की किरण जगाई | देशभक्ति से ओतप्रोत कवितायेँ लिखकर उस दुर्दशा से बाहर निकलने की राह तलाश की |आधुनिक काल में तत्कालीन राजनैतिक गतिविधियों से प्रभावित होकर साहित्य की विभिन्न विधाओं का विकास हुआ | विभिन्न कवियों ने राष्ट्रीय चेतना को उद्घाटित करने का प्रयास किया | हिंदी साहित्य में आधुनिक काल सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है | अंग्रेजी हुकुमत से त्रस्त जनता की पीड़ा को स्वर देने में विभिन्न विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है | इस युग में राष्ट्रीय भावना का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ | इस युग में गद्य साहित्य का विकास हुआ | इस युग के आरम्भ में भारतेंदु, राजा लक्ष्मण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक आदि लेखकों का विशेष योगदान रहा है उन्होंने ब्रजभाषा में काव्य रचना की | इस काल में न केवल कविता बल्कि साहित्य की अन्य विधाओं का समान रूप से विकास हुआ | इस युग में साहित्य का चहुँमुखी विकास हुआ है | इस युग के कवियों में राष्ट्रीय चेतना एक व्यापक फलक पर दिखाई पड़ती है | यहाँ तक आते-आते बहुत से लेखकों में राष्ट्र के प्रति चिंता साफ़ झलकती है | देश के प्रति यह चिंता व्यक्ति के विचारों एवं भावनाओं की एकता पर निर्भर करती है | विभिन्न विद्वानों, साहित्यकारों एवं शिक्षाविदों आदि ने भारतीय

परम्परा को अपने भिन्न-भिन्न विचारों से परिलक्षित किया है | आचार्य रामचन्द्र शुक्ल शब्द सागर की भूमिका में 'हिंदी साहित्य का इतिहास' नामक ग्रन्थ में साहित्य को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि "प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्वृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है | जनता की चितवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है | आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है |"[iii]आधुनिक काल का आरम्भ भारतेंदु से माना जाता है | भारतेंदु ने आधुनिक काल में राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाने का कार्य किया और राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया | भारतेन्दुयुगीन मंडली के लेखकों के साहित्य में राष्ट्रप्रेम की भावना दिखाई पड़ती है इस युग कवियों ने राष्ट्रीय भावनाओं को वाणी प्रदान की है | भारतेंदु जी ने राष्ट्र के उद्धार के लिए ईश्वर से विनती करते हुए लिखा है – "डूबत भारत नाथ बेगि जागो अब जागो |"[iv] आधुनिक काल में भारतीयों के अंदर राष्ट्रप्रेम की अलख जगाने हेतु बाबू भारतेंदु हरिश्चन्द्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है | भारतेंदु ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश में फैली विकट परिस्थितियों तथा हीन भावना से ग्रस्त जनता को प्रेरित किया | भारतेंदु ने भारत की हीन दशा को निम्न पंक्ति में व्यक्त किया है - "आवहु सब मिलि रोवहु भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई |"[v] इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का उल्लेखनीय कार्य किया | अंग्रेजों के शोषण का भारतेंदु ने निम्न पंक्तियों में इस प्रकार वर्णन किया – वे लिखते हैं -

"भीतर-भीतर सब रस चूसै, हँसि-हँसि के तन-मन-धन मूसै |
ज़ाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखि सज्जन ! नहिं अंगरेज ||"[vi]

द्विवेदीयुगीन कविता का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता था | इस दौर के अधिकतर कवियों ने राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्तिपूर्ण कविताओं को प्रमुखता दी और पराधीनता से मुक्त होने के लिए क्रांति की ज्वाला लोगों के भीतर जगाने का कार्य किया | 'बलिदान-गान' कविता में कविवर शंकर ने कहा था :

"देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा
प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा |"[vii]

कविताओं के माध्यम से देश की परिस्थितियों को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है | इन कविताओं में देश की वर्तमान स्थितियों से अवगत करवाया गया है और साथ ही भविष्य में सचेत रहने का संदेश दिया गया है | इन कविताओं में भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों को सहेज कर रखने तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी गयी है | इस युग में देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था | गुलामी की उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए देशवासियों को प्रेरित करते हुए मोहनलाल द्विवेदी लिखते हैं :

"जागो हिन्दू मुग़ल मरहठे, जागो मेरे भारतवासी |
जननी की जंजीरे बजतीं, जगो रहे कड़ियों के चाले ||
सुना रही हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले ||"[viii]

द्विवेदीयुग राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है | छायावाद, प्रगतिवाद के काव्य में भी राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव देखा जा सकता है | इन कवियों की रचनाओं में अतीत की गौरवगाथा के साथ वर्तमान काल की दुर्दशा का भी चित्रण उजागर होता है | छायावाद के प्रमुख स्तम्भ जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं, कहानियों में मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने का संदेश दिया है | राष्ट्र कवि के रूप में पहचान बनाने वाले रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य में राष्ट्रीय भावना को जगाने का सर्वोत्तम कार्य किया है | वे लिखते हैं कि -

"जिये तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष |
निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष ||
ओ गाँधी के शान्त सदन में आग जलाने वाले |
मानवता के बधिक आसुरी महिमा के मतवाले ||
वैसे तो मन मार शील से हम विनम्र जीते हैं |
आततायियों को शोणित भी लेकिन हम पीते हैं |"[ix]

समाज की विकृत परम्पराएँ एवं रूढ़ियाँ राष्ट्र को पतन की ओर ले जाती है | आधुनिक काल के कवियों ने चिरनिद्रा में डूबे देशवासियों को जागृत करने के लिए देशप्रेम के गीत गाकर संघर्ष के लिए झकझोर कर रख दिया और उठ खड़े होने का साहस पैदा किया | इस युग के कवियों के भीतर बह रही राष्ट्रीय चेतना की धारा ने सुषुप्तावस्था में पड़े समाज को नयी दिशा और नयी ऊर्जा प्रदान की है | राष्ट्रीय गरिमा में नव-जीवन का संचार करने वाले महान राष्ट्रवादियों की श्रेणी में भक्तिकाल के प्रमुख हस्ताक्षर महात्मा कबीरदास, राष्ट्र भक्त तुलसी, सूरदास और रीतिकाल के कवियों में भूषण, आधुनिक काल में भारतेंदु आदि ने अपनी कलम के बल पर राष्ट्रवादी स्वरों से लोक चेतना को झकझोर कर रख दिया | राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत-भारती' कविता में मानस पटल पर राष्ट्रीयता की गहरी छाप छोड़ी थी | इसी के साथ माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', रामनरेश त्रिपाठी आदि कवियों ने राष्ट्रवाद तथा जनजागरण एवं वीररस युक्त गीतों से राष्ट्र को नवीन चेतना एवं शक्ति प्रदान की | इन कवियों की रचनाओं ने भारतीय जनमानस को नयी चेतना से सराबोर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया | विभिन्न भाषाओँ के आधुनिक काव्य में राष्ट्रीय भावना का समावेश परिलक्षित होता है |

रामधारी सिंह दिनकर ने वीर, ओज, और शौर्य से युक्त कवितायेँ लिख कर जनमानस की सोई हुई धमनियों में रक्त का संचार किया है | अपने देश की जनता की पीड़ा को दलित समाज के गरीब, भूख से अकुलाते बच्चों का मार्मिक चित्रण निम्न पंक्तियों में किया है –

"श्वानों को मिलता दूध वस्त्र,
भूखे बालक अकुलाते हैं |
माँ की हड्डी से चिपक,
ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं ||"[x]

निष्कर्ष : अन्तोगत्वा हम कह सकते हैं कि कि भारतीय साहित्य में आदिकाल से लेकर अब तक राष्ट्रीय चेतना की अजस्र धारा प्रवाहित होती रही है | इस दृष्टि से हिंदी के कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से अनेक रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रदान की है | साथ ही देश की एकता अखंडता, उसकी सुरक्षा, समृद्धि हेतु निरंतर देश की जनता को प्रेरित करने का प्रयास किया और इस ओर उनका मार्गदर्शन किया | देश की रक्षा हेतु लोगों में वीरता, त्याग, साहस का संचार कर देश पर कुर्बान होने के लिए प्रेरित किया |

"जिनको न जिन गौरव तथा निज देश का अभिमान है |
वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है ||"

उक्त पंक्तियों के माध्यम से अपने देश पर अपनी मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने हेतु प्रेरित किया गया है | कहा गया है कि जो अपने देश की सेवा या रक्षा नहीं कर सकता वह व्यक्ति नहीं अपितु पशु के समान है उनका जीवन पूर्ण रूप से निरर्थक है | इसीलिए भारत माता के अनेक वीर सपूतों ने राष्ट्र हित में अपना जीवन न्योछावर कर दिया था | राष्ट्र के सच्चे सेवकों का एकमात्र लक्ष्य था अपनी जान की बाजी लगा कर देशवासियों में राष्ट्रीय भावना का संचार करना | जिस मिशन में वे सफल भी हुए और देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवा सके | भारतीय साहित्य का आधुनिक काल राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है |

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

[i] महाले, डॉ. सुभाष, 'माखनलाल चतुर्वेदी और वि.दा. सावरकर की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना', (1997), चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर, पृ.25

[ii] https://vimisahitya.wordpress.com/tag/

[iii] आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास

[iv] https://e-gyan-vigyan.com/aadhunik-kaal-mein-raashtreey-chetana-ka-uday/

[v] डॉ. शिवकुमार शर्मा, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, अशोक प्रकाशन नई सड़क, दिल्ली, बीसवां संस्करण: 2015, पृ. 472

[vi] सं. डॉ. नगेन्द्र, डॉ. हरदयाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, मयूर पेपरबैक्स, नई दिल्ली, पैंतालीसवां पुनर्मुद्रण संस्करण : 2013, प.440

[vii] सं. डॉ. नगेन्द्र, डॉ. हरदयाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, मयूर पेपरबैक्स, नई दिल्ली, पैंतालीसवां पुनर्मुद्रण संस्करण : 2013, पृ.477

[viii] https://e-gyan-vigyan.com/aadhunik-kaal-mein-raashtreey-chetana-ka-uday/

[ix] https://e-gyan-vigyan.com/aadhunik-kaal-mein-raashtreey-chetana-ka-uday/

[x] आधुनिक काव्य, सम्पादक - हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय (2011) विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ.145

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.3 No.7 Nov – Dec 2022

राईट टू रिकॉल: लोकशाहीच्या यशासाठी प्रभावी हत्यार

शिंदे काळुराम दामु
मातोश्री वेलबाई देवजी हरिया वरिष्ठ महाविद्यालय, शहाड. ता. कल्याण
Corresponding Author- **शिंदे काळुराम दामु**
DOI- 10.5281/zenodo.7426239

गोषवारा:-

निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा समजले जाते. भारतामध्ये लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वशासन इ. च्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी आयोजित केल्या जातात. यामध्ये उमेदवार विविध आश्वासने देऊन निवडूनही येतात. मात्र निवडून आल्यानंतर मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात ते अपयशी ठरतात, किंवा जाणून बुजून आपले कर्तव्य पार पाडण्यात ते कसूर करतात.अशा घटना म्हणजे एक प्रकारे मतदारांची केलेली फसवणूकच होय! त्यामुळे प्रगत राजकीय व्यवस्थेत अशी मागणी केली जात आहे की, ज्या मतदारांनी अशा अकार्यक्षम उमेदवारांना निवडून दिलेले आहे, त्यांना माघारी बोलाविण्याचा (त्यांची निवड रद्द करण्याचा) अधिकार त्याच मतदारांना असावा. याच अधिकारास 'राईट टू रिकॉल' असे म्हटले जाते. जनलोकपाल विधेयकावर आंदोलन उभारल्यानंतर उपोषण सोडत असताना ज्येष्ठ समाजसेवक श्री. अण्णा हजारे यांनी नागरिकांना 'राईट टू रिकॉल' हा अधिकार मिळायला हवा असे म्हटले व त्यामुळे हा अधिकार खऱ्या अर्थाने प्रसिद्धीस आला. जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी कार्यक्षमतेने आपली जबाबदारी पार पाडत नसतील तर त्यांना सभागृहातून परत बोलावता यायला हवे व हा अधिकार त्याच मतदारांना हवा अशी आग्रही मागणी सुद्धा अण्णांनी केल्याचे आढळते. भारतात मात्र या अधिकाराबाबत हवी तेवढी जनजागृती झालेली आढळून येत नाही. विशेषत: स्थानिक शासनामध्ये हा अधिकार प्रदान केलेला असला तरी ज्यांना या अधिकाराचा वापर करावयाचा आहे अशा मतदारांनाही या अधिकाराची जाण नसावी हे दुर्दैव म्हणावे लागेल! म्हणूनच या अधिकाराची शक्ती काय आहे? भारतातील या अधिकाराची सद्यस्थिती काय आहे? तसेच भविष्यात या अधिकाराबाबत आशादायी चित्र निर्माण होईल काय? या दृष्टिकोनातून शोध घेण्याचा प्रयत्न सदर संशोधनात केलेला आहे.

संशोधनातील कूट शब्द :- जन लोकपाल, लोकशाही, माहिती अधिकार, लोकसेवक, विधेयक, ग्रामसभा.

प्रस्तावना :

भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी सजग व सुजाण नागरिकांची आवश्यकता असते. असे असताना भारतातील बहुसंख्य जनता ही राजकीय क्रिया-प्रक्रियांबाबत अनभिज्ञ आहे. या अनभिज्ञतेचाच एक भाग म्हणजेच Right to Recall अर्थात 'राईट टू रिकॉल' किंवा दुसऱ्या शब्दात 'परत बोलाविण्याचा अधिकार होय'.

जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी कार्यक्षम नसतील तर त्यांना त्या पदावरून दूर करण्याचा निवडून देणाऱ्या जनतेलाच अधिकार असणे या उद्देशाने सदर अधिकाराची मागणी श्री. अण्णा हजारेंसारखे समाजसेवक गेल्या अनेक वर्षापासून करत आहेत. परंतू या मागणीला हवे तेवढे पाठबळ समाजाकडून तसेच

धोरणकर्त्यांकडून मिळत नसल्याने राष्ट्रीय पातळीवर हा कायदा दृष्टीपथात येऊ शकला नाही. हा कायदा अस्तित्वात येण्याअगोदरच त्याच्या फायदयांपेक्षा तोटेच जास्त असल्याचे मत अनेक राजकीय विश्लेषक करीत आहेत. माहिती अधिकार कायदा लागू होण्यापूर्वीही असेच मत सर्व स्तरावर व्यक्त होत होते. परंतु २००५ साली हा कायदा लागू झाल्यानंतर संपुर्ण जनजीवन बदलून गेल्याचे चित्र आज पाहावयास मिळत आहे. आगामी काही वर्षात तळागाळातील भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यामध्ये माहिती अधिकार कायदा निश्चित यश मिळवेल अशी आशा केली जाते. तव्दतच राईट टू रिकॉल या अधिकाराबाबत आशावादी असण्यास हरकत नसावी. अनेक टीकाकारांच्या मते, आपल्या लोकशाहीमध्ये या क्षणी आदर्शाच्या आधारावर परत बोलवण्याची कल्पना अव्यवहार्य आहे. कारण, अंतर्गत आव्हाने, भिन्न हितसंबंध व त्याचा गैरवापर होण्याची जास्त शक्यता आहे. सदर अधिकाराचा वापर मतदारांकडून स्वेच्छेने केला गेला आहे, की कोणाच्या दबावाने केला गेला आहे हे पाहणे किंवा त्याची खातरजमा करणे सुद्धा कठीण आहे. स्थानिक स्तरावर घडलेल्या मागील अनेक प्रकरणांमध्ये याचा वापर केवळ राजकीय दबावापोटी झाल्याचे समजले आहे असाही एक मतप्रवाह दिसून येतो. असे असले तरी रिकॉलचा अधिकार हे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमध्ये आपल्या कर्तव्याप्रती जाणीव निर्माण करण्याचे एक साधन आहे. मतदान प्रक्रियेबाबत विश्वास निर्माण करण्यामध्ये सुद्धा हा अधिकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. हा कायदा करताना फक्त योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. भारतामध्ये ‘राजधर्म’ ही संकल्पना याच अधिकाराशी निगडित आहे. व ही संकल्पना अगदी वैदिक काळापासूनची आहे. मतदाराला ज्याप्रमाणे आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे त्याला त्या पदावरून दूर करण्याचा अधिकारही असावा असा मतप्रवाह समाजामध्ये रुजत आहे. 'मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध श्रीराम सिंह' या खटल्यामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, “भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ही समाजाची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की, राईट टू रिकॉल हा नि:संशयपणे हे साध्य करण्याचा एक मार्ग आहे”.

उद्देश :-

१) 'राईट टू रिकॉल' या संकल्पनेवर प्रकाश टाकणे.

२) भारतातील या कायद्याबाबतची सद्यस्थिती अभ्यासणे.

३) भारतात या कायद्याच्या आवश्यकतेबाबत जनजागृती करणे.

४) 'राईट टू रिकॉल' या कायद्याचे महत्त्व समजून घेणे.

संशोधन पद्धती :-

सदर संशोधनात पूर्णतः दुय्यम स्त्रोतांचा वापर करण्यात आलेला आहे. त्यासाठी विविध शोधनिबंध, मासिके, वर्तमानपत्रे, संगणकीय महाजाल या स्त्रोतांचा वापर करण्यात आलेला असून सदर संशोधन हे वर्णनात्मक स्वरूपात मांडलेले आहे.

'राईट टू रिकॉल' या अधिकाराची आवश्यकता:-

जनतेने निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर जे प्रतिनिधी निवडून येतात ते पुन्हा जनतेत फिरकतच नाहीत. म्हणजेच ते एक प्रकारची मनमानी करतात. त्यांच्या पदावर गदा येण्याची कोणतीही भीती वा कायदाच अस्तित्वात नसल्याने त्यांची कार्यक्षमता घटते. परंतु जर हा कायदा अस्तित्वात आला तर या कायद्याच्या भीतीने लोकप्रतिनिधी कार्यक्षम बनतील व त्यामुळे खऱ्या अर्थाने लोकशाही अस्तित्वात येईल असा आशावाद निर्माण होऊ शकतो. बऱ्याचदा असेही पाहायला मिळते की, निवडणुका झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधी आपले कार्य विसरून जातात व निवडणुकीला वर्ष - दीड वर्ष शिल्लक राहिल्यानंतर पुन्हा कार्यरत होऊन अप्रत्यक्षपणे जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करतात. त्यामुळे 'राईट टू रीकॉल'मुळे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी प्रामाणिकपणे व कसोटीने कार्य करतील.

'राईट टू रीकॉल' अस्तित्वात येण्यासाठीची परिस्थिती प्रत्येक देशात वेगवेगळी असू

शकते. सर्वात मुख्य कारण म्हणजे निवडून दिलेले प्रतिनिधी अकार्यक्षम निघतात. त्यांच्या शब्दांना भुलून जनता मताचे दान त्यांच्या पदरात टाकते, परंतु ते जनतेचा भ्रमनिरास करतात. अनेकदा लोकप्रतिनिधी मानसिक दृष्ट्या अकार्यक्षम ठरल्याचीही उदाहरणे आढळतात. अशावेळी त्या प्रतिनिधीला परत बोलावणेच योग्य ठरते. कित्येकदा तर, प्रतिनिधी धोरणे आखताना जनहिताचा अजिबातच विचार करत नाहीत व त्यातून भ्रष्टाचार माजू शकतो. हे टाळायचे असेल तर 'राईट टू रिकॉल' ची नितांत गरज असल्याचे जाणवते.

'राईट टू रिकॉल' हा अधिकार भ्रष्टाचार थांबविण्यात व राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. म्हणून निवडून आलेले प्रतिनिधी आपल्या कार्यकाळापर्यंत सक्षमपणे कार्य करू शकतील. या कायद्याच्या भयामुळे निवडणुकीवर जो लाखो रुपयांचा खर्च उमेदवार करत असतो त्यावर प्रतिबंध बसू शकेल. कारण, निवडून आल्यानंतर पूर्ण कार्यकाळ मिळेलच याची शाश्वती नसल्याने अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार थांबेल. आपली चूक सुधारण्यासाठी मतदारांना सुद्धा ५ वर्ष वाट पाहण्याची गरज भासणार नाही. कारण, या अधिकारामुळे हे त्वरित थांबवता येऊ शकेल. मुक्त व खुल्या वातावरणातील निवडणुका होणे हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण आहे. म्हणून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना अकार्यक्षमतेच्या कारणास्तव परत बोलावता येणे आवश्यक आहे.

भारतातील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :-

भारतात सर्वप्रथम सचिंद्रनाथ संन्याल यांनी लोकसेवकांना परत बोलविण्याचा अधिकार असावा अशी मागणी केल्याचे आढळते. डिसेंबर-१९२४ मध्ये हिंदुस्थान रिपब्लीकन असोसिएशनचा जाहिरनामा त्यांनी लिहिला. यामध्ये ते लिहितात, "In this republic the electors shall have the right to recall their representatives, if so desired, otherwise the democracy shall became a monkey" म्हणजेच, लोकशाही टिकण्यासाठी सदर अधिकार किती महत्वाचा आहे हे अगदी साध्या व समर्पक शब्दांत त्यांनी मांडले आहे. यानंतर भारतीय घटनासमिती मध्येही या मुद्दयावर साधक बाधक चर्चा घडून आली परंतू राज्यघटनेमध्ये या अधिकाराचा समावेश केला गेला नाही. १९७४ मध्ये सी. के. चंद्रप्पन यांनी या संदर्भातील विधेयक लोकसभेत मांडले. या विधेयकाला श्री. अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही समर्थन दर्शविले. परंतु सदर विधेयक लोकसभेत मंजुर होऊ शकले नाही. २०१६ मध्ये भाजपाचे खासदार वरुण गांधी यांनी सुध्दा हे विधेयक लोकसभेत मांडण्याचा अपयशी प्रयत्न केला. श्री. अण्णा हजारे यांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला परंतु यावेळीही सदर कायदा मंजुर होऊ शकला नाही. पुरेशा जनजागृती अभावी राईट टु रिकॉलचा अधिकार भारतीयांना मिळू शकला नाही. भारतामध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र व हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये मात्र पंचायत स्तरावर हा अधिकार लागू करण्यात आला आहे. हरियाणा मध्ये सुद्धा सध्या सरपंचाला या कक्षेत आणण्यात आले आहे. साधारणपणे ग्रामसभेला याबाबतीत अधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे. यासाठी ग्रामसभेच्या काही विशिष्ट सदस्यांमार्फत सरपंचाला पदावरून दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास अर्ज करावा लागतो. सह्यांची ओळख किंवा खातरजमा झाल्यानंतर ग्रामसभा बोलावली जाते व त्या सभेत बहुमत तयार झाल्यास सरपंचाला पदावरून दूर केले जाते.

या अधिकाराबाबत जागतिक स्थिती:-

सध्या जगभरातील अनेक देशांनी आपापल्या पातळीवर हा अधिकार आपल्या देशातील जनतेला बहाल केलेला आहे. या देशांमध्ये अमेरिका, कॅनडा, तैवान, स्वित्झर्लंड, युक्रेन, व्हेनेझुएला यांचे नाव घ्यावे लागेल. अमेरिकेत तर घटकराज्यांचे न्यायाधिश, महापौर, राज्यपाल यांना पदावरुन दूर करण्यासाठी हा अधिकार जनतेकडून वापरला जातो. अमेरिकेत १५ पेक्षा जास्त घटकराज्यांमध्ये हा अधिकार जनतेला वापरता येतो. अमेरिकेतील ओरेगॉन या प्रांतात १९०८ मध्ये याची अंमलबजावणी सुरु झाली.आतापर्यंत काही

सिनेटर, मंत्री, गव्हर्नर यांना याच अधिकारचा वापर करुन जनतेने पदावरुन दूर केलेले आहे. थोडक्यात अमेरिकेतील परिपक्क जनमानसांमुळे या अधिकाराचा योग्य तो वापर केला जात असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. या अधिकाराबाबत कॅनडा हा देश सुध्दा सजग असल्याचे जाणवते. कॅनडामध्ये तुम्ही तुमच्या निवडलेल्या प्रतिनिधीला परत बोलावू शकता. जगभरात या अधिकाराच्या अंमलबजावणीबाबत वेगवेगळया तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. अमेरिकेत ज्या प्रतिनिधीला परत बोलवायचे आहे त्याविरुध्द सदर मतदारांच्या/नागरिकांच्या किमान १५ सहयांची प्रथमदर्शनी गरज लागते. अल्बर्टा राज्यात १९३६ मध्ये कायदा करुन किमान दोन तृतियांश मतदारांच्या सहयांची अट लावण्यात आलेली आहे. महत्वाचे म्हणजे विहित वेळेतच हा अधिकार नागरिकांना वापरता येतो. थोडक्यात, वेगवेगळया देशांमध्ये हा अधिकार लोकशाहीतील एक प्रभावी अस्त्र म्हणून वापरला जात आहे.

व्हेनेझुएला या देशाच्या राज्यघटनेत सन १९९९ मध्ये ७२व्या कलमांतर्गत राईट टू रिकॉल हा अधिकार देण्यात आला असून सन २००४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती ह्युगो चावेज यांना राष्ट्रपती पदावरून पाय उतार व्हावे लागले होते. हा लोकशाही प्रक्रियेचा विजय समजावा लागेल. अमेरिकेत १९२१ मध्ये सरकारी उत्तर डाकोजाचे प्रमुख लीन जे फ्रेझर यांना या अधिकारांतर्गत परत बोलाविण्यात आले होते. त्यासोबतच कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर ग्रे डेव्हीस यांना २००३ मध्येही याच अधिकारांतर्गत परत बोलाविण्यात आले होते. यानुसार अमेरिकेत या अधिकाराचा अनेकदा वापर केल्याची ठळक उदाहरणे दिसून येतील. कॅनडाच्या कोलंबिया या प्रांतात तर १९९५ मध्ये 'राईट टू रिकॉल' हा कायदा मंजूर झाला. अगदी देशाच्या पंतप्रधानापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत कोणाही उच्च पदस्थाला पदावरून दूर करण्यासाठी जनता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकते व त्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. सन २००३ मध्ये २२ जणांना अशा पद्धतीने जनतेने माघारी बोलावले होते.

या अधिकाराबाबत भारतातील सद्यस्थिती:-

'राईट टु रिकॉल' लोकसभा, विधानसभा मध्ये निवडुन आलेल्या लोकप्रतिनिधींबाबत वापरता यावा अशी मागणी भारतात जोर धरत असली तरी अगदी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून स्थानिक स्तरावर हा अधिकार जनतेला प्राप्त झालेला आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये १९४७ पासून सरपंच पदाबाबत ही तरतूद करण्यात आलेली आहे. महत्वाचे म्हणजे उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तिसगड, हिमाचलप्रदेश व महाराष्ट्र राज्यातही पंचायत स्तरावर लोकप्रतिनिधींना परत बोलविण्याचा अधिकार जनतेला दिलेला आहे. असे असताना याबाबत फारशी जनजागृती झालेली नसल्याने हा अधिकार वापरल्याची उदाहरणे शोधावी लागतात. हा अधिकार वापरुन सरपंचाला पदावरुन दूर करावयाचे झाल्यास ग्रामसभेच्या सदस्यांनी आपल्या सहयांचा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्याकडे दाखल करावा लागतो. सहयांची खातरजमा झाल्यानंतर ग्रामसभेची बैठक बोलावली जाते आणि ग्रामसभेत सरपंचाविरुध्द ठराव बहुमताने मंजुर झाला तर त्या सरपंचाला पदावरुन दूर केले जाते. म्हणजेच पंचायत स्तरावर हा अधिकार जनतेला दिलेला असून वरिष्ठ स्तरावर अर्थातच लोकसभा, विधानसभा इ. मधील लोकप्रतिनिधींनाही परत बोलविण्याचा अधिकार जनतेला असावा ही मागणी अधांतरीच आहे.

निष्कर्ष :-

'राईट टू रिकॉल' हा अधिकार निश्चितच लोकशाहीमध्ये महत्वाची भुमिका बजावू शकेल.या अधिकारामुळे भ्रष्टाचार किती प्रमाणात कमी होऊ शकेल हा जरी संशोधनाचा मुद्दा असला तरी निवडून आलेला प्रतिनिधी कार्यक्षमतेने वागला नाही तर एक टांगती तलवार म्हणुन त्याचा वापर करता येऊ शकेल. निवडणूकीला उभा राहिलेला उमेदवार निवडून येईपर्यंत त्याची पार्श्वभूमी जरी तोपर्यंत मतदारांना माहित नसली तरी निवडून आल्यानंतर त्याच्या विघातक

कृत्यांना या अधिकारामुळे यशस्वीरीत्या खिळ घालता येऊ शकेल. त्यासाठी सकारात्मक मानसिकतेची गरज आहे. जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या या मागणीला समाजाकडून बळ मिळाल्यास हा कायदा अस्तित्वात यायला वेळ लागणार नाही असा विश्वास व्यक्त करावास वाटतो.

संदर्भ :

१. दिव्य मराठी, 'काय आहे राईट टू रिकॉल?', divyamarathi.bhaskar.com

२. Wikipedia.org 'भारत मे राईट टू रिकॉल कानून'

३. 'मतदारांना दिला राईट टू रिकॉल', २८ ऑक्टो.,२०१८, महाराष्ट्र टाइम्स, अहमदनगर.

४. निखिल सोंजे, inmarathi.com 'वरुण गांधींचा राईट टू रिकॉल- एका उत्तम संकल्पनेचे अत्यंत घातक रूप' , ८ मार्च २०१७.

५. Neelima Kota, 'Recall in India: an analysis', journal of constitutional and parliamentary studies, January/ December- 2015.

६. The Maharashtra village panchayat act,mahasec.maharashtra.gov.in.

७. 'A critical take on Right to Recall', www livelaw.in.

८. 'Right to Recall in panchayats not exercised', Zeenews.India.com/news/madhyapradesh/mp-right to recall.

९. www.iasparliament.com. 'the right to recall?'

१०. www.clearias.com, 'right to Recall - can this clean up the indian political system?'

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.3 No.7 Nov – Dec 2022

सम्पोषित विकासः सिद्धान्त एवं चुनौतियाँ

डॉ गौरव कुमार मिश्र
सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, कोरिया, छत्तीसगढ़
Corresponding Author- **डॉ गौरव कुमार मिश्र**
Email- drmishragk@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.7426254

अभी हाल ही में शर्म उल शेख में सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन (काप-२७) में पर्यावरण के संबंध में वैश्विक चिंताओं पर पुनः ध्यान आकृष्ट किया है। इस सम्मेलन में अप्रत्याशित बदलाव के कारण गरीब देशों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु एक कोष स्थापित करने और सम्मेलन में शामिल १९७ देशों ने फिर कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने का संकल्प लिया है। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लगातार दुनिया में हालातों के और बिगड़ने से उपजी वैश्विक चिंताओं ने संपोषित विकास की धारणा पर पुनः बल दिया है सतत् विकास की संकल्पना विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग १९८७ की देन है। इस आयोग की अध्यक्षता ग्रो बुटलैंड के नाम पर इस आयोग के प्रतिवेदन को 'बुटलैंड रिपोर्ट' कहा जाता है। यह रिपोर्ट 'आवर कॉमन फ्यूचर' (हमारा सामान्य भविष्य) शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। इसके अंतर्गत यह तर्क दिया गया था कि संसार में प्राकृतिक संसाधनों का अक्षय भंडार नहीं है। अतः यह मांग की गई कि "वर्तमान पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं इस ढंग से पूरी करनी चाहिए कि भावी पीढ़ियां अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में असमर्थ न हो जाए।" दूसरे शब्दों में इस रिपोर्ट के अनुसार "धारणीय अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।"

अतः पर्यावरण के सुरक्षा के बिना विकास को निर्वहनीय नहीं बनाया जा सकता। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय या टिकाऊ विकास है।

वर्तमान में धारणीय विकास एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन गया है। 1992 ई० के पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा-२ (रियो घोषणा) में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। २००२ में जोहान्सबर्ग सम्मेलन (रियो-१०) का मूल मुद्दा ही सतत् विकास था। ध्यातव्य है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992) के २० वर्ष पूरे होने के पश्चात में ब्राजील के रियो डी जेनिरियो में रियो २०- सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके घोषणा पत्र का शीर्षक 'द फ्यूचर वी वांट' था। इस सम्मेलन में भारत ने भी हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्थायी विकास के पथ प्रदर्शक सिद्धान्त अधोलिखित हैं-

(१) पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी- उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी को अपनाकर निर्वहनीय विकास को अंगीकार करना।

(२) परियोजना मूल्यांकन- विकास मार्ग के अंतर्गत किसी भी परियोजना के मूल्यांकन में तीन म;ईद्ध अर्थात् पर्यावरण सुरक्षा (Environmental Protection)] पारिस्थितिकीय संतुलन (Ecological Balance) एवं आर्थिक दक्षता (Economical efficiency) पर यथेष्ट जोर देना।

(३) उत्पादन का विकेन्द्रीकरण– स्थायी विकास के लिए विकेन्द्रीकरण करके इस क्षेत्र में जनसहभागिता को बढ़ाना।

(४) संसाधन संरक्षण– भूमंडलीय आधार पर समग्र जीवन चक्र का प्रबन्ध करके संसाधनों का प्रभावी संरक्षण करना।

(५) प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र– पारिस्थितिकी संतुलन में किसी प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(६) पारिस्थितिकीय साक्षरता– इसके द्वारा वैश्विक पारिस्थितिकी संरक्षण चेतना का विकास करना।

(७) स्थायी विकास पर प्रभावी जनमत निर्माण में पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेना।

(८) संसार के सभी देशों द्वारा पर्यावरण के संबंध में वैश्विक संस्थाओं, संधियों व प्रोटोकालों को पूर्ण मान्यता दिया जाना व उनका पूर्णतः पालन किया जाना।

सतत विकास मानव एक संतुलित विकास की बुनियाद है, इसके मूलभूत विचारों के अंतर्गत बहुआयामी तत्वों को समाहित किया गया है। यथा– नवीकरणीयता (Renewability), प्रतिस्थापन (Substitution),अंर्तनिर्भरता (Interdependence),अनुकलनशीलता (Adaptability) एवं संस्थागत प्रतिबद्धता (institutional commitment) आदि।

भारत में भी संपोषित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। भारत उन विकासशील देशों में आता है जहाँ पर्यावरण के संबंध में व्यापक जागृति आई है एवं स्थायी विकास हेतु सघन प्रयास किये गये हैं जिन्हें निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है यथा–

वनारोपण व सामाजिक तथा कृषि वानिकी
मृदा संरक्षण व परती भूमि विकास कार्यक्रम
कृषि जलवायुविक प्रादेशीकरण
वॉटरशेड प्रबन्धन
शष्यक्रम एवं फसलचक्र
शुष्क कृषि विकास

इसके अलावा जीवमण्डल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जलग्रस्त भूमि संरक्षण, मैग्रोव संरक्षण, तटीय पारिस्थितिकी एवं मलीन बस्तियों में सुधार तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के कानून आदि को भी सतत् विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। वस्तुतः व्यापक दृष्टि सम्पोषित विकास के भावी भविष्य की कल्पना के दो रूप स्पष्ट पहचाने जा सकते हैं–

(१) अधिकतम सम्पोषित समाज– विकास के संदर्भ में यह एक ऐसे समाज की कल्पना है, जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखना चाहती है परंतु सैद्धान्तिक स्तर पर व्यक्ति का प्रकृति पर प्रभुत्व तथा भौतिक एवं अन्य आवश्यकताओं की प्राथमिकता को मौलिक मान कर चलती है। विकास के इस सिद्धान्त को मानव केन्द्रित धारणा का समर्थन प्राप्त है।

(२) **मिताहारी सम्पोषित समाज (Frugal Sustanable Society)–** इसका समर्थन डीप इकोलॉजिस्ट ने किया है। यह धारणा उत्पादन, उपभोग, राजनीतिक ढांचों, रहन–सहन और आदतों में आमूल परिवर्तन की मांग करती है। मौलिक रुप में यह उत्पादन की वह धारणा है जो ऊर्जा के कम प्रयोग, अधिक शारीरिक श्रम, भौतिक वस्तुओं की मिताहारिता, व्यक्तिगत आत्म संतुष्टि तथा स्वैच्छिक मिताहारिता पर आधारित है। यह व्यक्ति के नैतिक उत्तरदायित्व पर ज्यादा बल देती है।इस सिद्धान्त के मूल मंत्र हैं– मिताहारिता, आत्मनिर्भरता तथा स्वैच्छिक सादगी।

एक लंबे समय से वैश्विक स्तर पर लगातार किये जा रहे प्रयासों, विभिन्न सम्मेलनों, कार्यवाहियों के बाद भी सम्पोषित विकास को व्यवहार्य में लाने के मार्ग में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हैं। ये चुनौतियां सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनो स्तरों पर हैं, जिनका निराकरण आवश्यक है।

सम्पोषित विकास की समस्याएं–

किसी भी उग्रवादी विचारधारा की तरह पर्यावरणवाद अपनी संपोषित विकास की धारणा को

व्यवहारिक रूप देने में कई तरह की सैद्धान्तिक समस्याओं का सामना कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि विश्व के विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर कई पर्यावरण समूह एवं राष्ट्रीय स्तर पर हरित राजनीतिक सामाजिक समूह पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं। फिर भी राज्यों में विकास के संदर्भ में अभी भी औद्योगीकरण ही प्रधान है। वास्तव में सम्पोषित विकास की धारणा को लागू करने में अभी बहुत समस्याएं हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं–

1. **सीमित वृद्धि का तर्क गलत है ;Thesis of limited growth is wrong)-**

सम्पोषित विकास की धारणा का तर्क है कि सीमित विश्व व्यवस्था विकास की वर्तमान असीमित दर को संभालने की स्थिति में नहीं है। तथापि आलचकों का कहना है कि सीमित वृद्धि की धारणा का तर्क केवल सनसनी फैलाने वाला है। इसमें कोई ठोस सच्चाई नहीं है। इस संसार में भौतिक वस्तुओं के अभाव की समस्या को केवल परिष्कृत टेक्नोलॉजी द्वारा ही हल किया जा रकता है।इस टेक्नोलॉजी का उपयोग चाहे और श्रोतों की वृद्धि के लिए किया जाये अथवा हमारे पास जो कुछ है उनके बेहतर प्रयोग के लिए किया जाये। वास्तव में पर्यावरणवादियों ने विकास के संदर्भ में जो सीमायें समय-समय पर लगाई हैं उन सब को लांघा जा चुका है और अभी तक कोई विशेष दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। बल्कि आलचकों का विचार हैकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उत्पादन वृद्धि बहुत आवश्यक है क्योंकि पर्यावरण सुरक्षा काफी महंगा कार्य है और इसके लिए पैसा केवल एक विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है। अतः विकास पर्यावरण का दुश्मन होने के बजाय इसका दोस्त है। अन्तर केवल यह है कि आज तक हम पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लापरवाह रहे हैं। सही कानून और नियमन द्वारा विकास और पर्यावरण में सामन्जस्य लाया जा सकता है।

२. **मिताहारी सम्पोषित विकास की धारणा खतरनाक है (Frugal Sustainable Development is Dangerous)**

ओलोचकों का मत है कि मिताहारी सम्पोषित विकास व्यक्ति को सम्पूर्ण प्रकृति का एक अंग बनाकर उसमें और किसी पेड़-पौधे कीड़े में कोई अन्तर नहीं करता। एक आलोचक के अनुसार पर्यावरण विनाश के लिए सारी मानव जाति को जिम्मेदार ठहराने का अर्थ केवल व्यक्ति को इस धरती पर एक अभिशाप समझना ही नहीं है बल्कि इस अन्तर को भी भूलना है कि इसमें कुछ (जैसे अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां) लोगों की भूमिका ज्यादा विनाशक हो सकती है और कुछ की बिल्कुल नहीं। पर्यावरण समस्या का एक महत्वपूर्ण हल जनसंख्या नियंत्रण है जिसे लेकर भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि गोल्डस्मिथ लिखते हैं, यह बहुत आवश्यक हो गया है कि शताब्दी के अन्त तक छोटे परिवार (औसतन दो बच्चे प्रति परिवार) का उद्देश्य पूरा कर लिया जाये। इसके लिए वे व्यापक प्रचार आन्दोलनों, गर्भ निरोधन, गर्भपात जैसे तरीकों का सुझाव देते हैं। कुछ अन्य लेखक बच्चों के जन्म पर कानूनी प्रतिबन्ध अथवा टैक्स लगाने का सुझाव भी देते हैं। इसके अलावा जनसंख्या देशान्तरण के भी कई सुझाव दिये गए ताकि जो राज्य श्रोतों और भूमि के दृष्टिकोण से बड़े हैं, वे दूसरे राज्यों का कुछ बोझ हल्का कर दें। परन्तु यह सारे सुझाव जनसंख्या नियंत्रित करने के कुछ नैतिक और नस्ल-सम्बन्धी सवाल पैदा करते हैं जिन्हें सम्पोषित विकास के लेखक स्पष्ट नहीं कर पाये हैं।

3- **अधिनायकवाद अथवा प्रजातन्त्र (Authoritarianism or Democracy)**

मिताहारी सम्पोषित विकास के मन्दर्भ में एक अन्य समस्या इसकी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को लेकर है। आलोचकों का मत है कि सम्पोषित विकास को प्राप्त करने के लिए जीवनशैली और राजनीतिक परिवर्तनों के लिए कई स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र का बलिदान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से कम्यून जीवन में परिवर्तन के लिये कई स्वतन्ताओं पर सीमा लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। समकालीन हरित राजनीतिक दल एवं आन्दोलन किसी भी प्रकार के तानाशाही हल के खिलाफ हैं। हरित राजनीतिक दल पर्यावरण और विकास के

उद्देश्यों को संसदीय बहुमत या स्थानीय स्वशासन द्वारा आम लोगों की व्यापक सहमति द्वारा प्राप्त करने में दृढ़ विश्वास रखते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहाँ हरित दल इस बात से सहमत है कि सम्पोषित विकास के लिये बहुत सी सीमायें लगाानी जरूरी है, वहां उनका विश्वास है कि आत्म-आरोपित सीमायें अधिक कारगर एवं स्थायी होगी बजाय जोर-जबरदस्ती के।

निष्कर्ष-

विकास के सन्दर्भ में र्प्यावरण की धारणा अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। इसने मानव का इस भूग्रह के प्रति उत्तरदायित्व के प्रति ध्यान आकर्षित किया है और इस महत्व को दर्शाया है कि व्यक्ति और प्रकृति दोनों परस्पर अभिन्न रूप से जुड़े हुये हैं। राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने कानून और नीति-निर्माण प्रक्रिया में इस सम्बन्ध को ध्यान में रखें। समकालीन राज्यों में हरित आन्दोलनों और पर्यावरण दबाव-समूहों ने पर्यावरण को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इसकी अतिवादी मांगे-जैसे औद्योगीकरण को समाप्त करना, न्यूनतम उत्पादन, विकेन्द्रीकरण अथवा स्थानीय सामुदायिक जन-जीवन को बढ़ावा देना आदि-यदि आज पूरी नही ही रही तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पर्यावरण का भविष्य अन्धकारमय है। उदाहरण के लिये सम्पोषित विकास के विभिन्न स्वरूपों के बारे में चर्चा होती रहती है परन्तु विभिन्न राज्यों द्वारा बनाई जा रही पर्यावरण नीतियों पर इनका कोई स्पष्ट प्रभाव दिखाई नहीं देता। तथापि पर्यावरण के सिद्धान्त का भविष्य सम्पोषित विकास के दोनों विकल्पों के बीच का रास्ता बनाने में है ताकि यह जन-चेतना तथा राजनीतिक नीतियों का अभिन्न अंग बन सके। जैसे-जैसे लोग प्रदूषण के विनाशकारी पक्षों के बारे में सचेत हो रहे हैं, यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में पर्यावरण आन्दोलन विश्व भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

सन्दर्भ-

(१) गाबा, ओम प्रकाश : राजनीति-सिद्धान्त की रूपरेखा (नई दिल्ली, नेशनल पेपरबैक्स-२०२२)

(२) वरमानी, आर. सी. : समकालीन राजनीतिक सिद्धान्तों का परिचय (नई दिल्ली, गीतान्जली पब्लिशिंग हाऊस-२०११)

(३) विल किमिलिका : कन्टेम्परोरी पॉलिटिकल फिलासॉफी- ऐन इन्ट्रोडक्शन (ऑक्सफोर्ड चन्द्रा प्रेस-१६६०)

(४) यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जर्नल्स- इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्ट एडवाइज़री ग्रुप ऑन ए डाटा रिवोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट-२०१४, undatarevolution.org

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.3 No.7 Nov – Dec 2022

अनुसूचित जाति की महिलाओं के शिक्षा एवं निर्धनता की स्थिति: एक अध्ययन

प्रियंका प्रिया[1] डॉ विश्वनाथ झा[2]
[1]शोधार्थी, विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
[2]पूर्व प्रधानाचार्य सह अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, चन्द्रधारी मिथिला महाविद्यालय, दरभंगा
Corresponding Author- प्रियंका प्रिया
DOI-10.5281/zenodo.7426295

सारांश:-

इस आलेख में अनुसूचित जाति की महिलाओं के शिक्षा एवं निर्धनता की स्थिति का अध्ययन किया गया है। अनुसूचित जातियाँ, जिन्हें अछूतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भारत की उच्च जातियों के नीचे मौजूद प्रतीत होती हैं। अनुसूचित जाति की महिलाएं भारतीय समाज में परंपरागत रूप से उदास और उपेक्षित हैं। वे आर्थिक पदानुक्रम में भी सबसे निचले पायदान पर हैं, जिनके पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, जिससे समाज में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों ने अनुसूचित जाति की महिलाओं के सुधार के लिए बहुत प्रयास, प्रावधान और आरक्षण किए हैं। आज भी, एक महिला को अनुसूचित जाति में "वंचित समूह" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनुसूचित जातियाँ वे जातियाँ हैं जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुसूचियों में शामिल किया गया है और संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह ऐसी जातियों या जाति के हिस्सों को दर्शाता है, जिन्हें भारतीय संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद-341 के तहत अनुसूचित जाति माना जाता है। इस आलेख में अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा एवं निर्धनता की स्थिति तथा उसके उत्थान हेतु सरकारी प्रयासों का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द:- शिक्षा, निर्धनता, उत्थान, अनुसूचित जाति, आरक्षण आदि।

परिचय:

अब तक किए गए अध्ययन में काफी हद तक भारत में अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अनुसूचित जाति जनसंख्या पूरे विश्व में वितरित है। इस जाति में केवल एक चीज समान है, वह है गरीबी और सामाजिक अक्षमता, विशेषकर महिलाओं में, जिसके कारण उन्हें सदियों से उपेक्षित और पिछड़ा हुआ माना जाता है। उन्हें कई दशकों से एक दयनीय जीवन जीने के लिए संकलित किया गया है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जो अनुसूचित जाति की महिलाओं के पास भारतीय समाज में उनकी स्थिति को बदलने में सहायक है। शिक्षा असमानताओं में कमी भी लाती है और उनकी पारिवारिक और समाजिक स्थिति में सुधार के साधन के रूप में कार्य करती है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी स्तरों पर मानक की स्थापना की गई और देश में महिलाओं के लिए कक्षाओं, कॉलेजों और यहां तक कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने और पढ़ने में लिंग संतुलन को कम कर दिया गया। अनुसूचित जाति की लड़कियों, विशेषकर बीपीएल परिवारों की लड़कियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए। सरकार ने मुफ्त किताबें, पोशाक, मध्याह्न भोजन, छात्रावास, छात्रवृत्ति, मुफ्त साइकिल आदि प्रदान किया है।

लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। अनुसूचित जाति की महिलाएं विकास की रणनीति बनाने में विफल रही हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं का समाज में पिछड़ना जारी है

अनुसूचित जाति की पृष्ठभूमि:-

"अनुसूचित जाति" शब्द की उत्पत्ति 1935 के भारतीय अधिनियम में खोजी जा सकती है। 1936 में, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कई प्रांतों में अनुसूचित जाति के रूप में उन जातियों की पहचान करते हुए एक अनुसूचित जाति आदेश जारी किया। शेड्यूल से पहले, उन्हें आमतौर पर "डिप्रेस्ड क्लास" कहा जाता था। डॉ. हटन, तत्कालीन भारतीय जनगणना आयुक्त, ने नियमित रूप से अवसादग्रस्त समूहों का वर्गीकरण किया, और 1936 के सरकारी आदेश के आधार पर जारी अनुसूचित जातियों की सूची डॉ. हटन की पहले की सूची और 1950 में तैयार की गई सूची के साथ

बनी रही। संविधान की अनुसूचित "जाति" "आदेश 1936 के आदेश का संशोधित संस्करण था। वे कस्बों और गांवों में "हरिजन टोला" के नाम से जाने जाने वाले अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कुपोषण, विकलांगता और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जाति भारतीय समाज में एक उत्पीड़ित और वंचित समूह का गठन करती है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा की स्थिति:-

देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीतने के बाद भी अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित महिलाओं में शिक्षा स्तर काफी निम्न है। जिसके कारण उनके उत्थान के राह में बाधा उत्पन्न होती है। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा का स्तर में सुधार हेतु निरंतर प्रयास किया जाता है, परंतु इसका अपेक्षित प्रभाव धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। सरकार द्वारा मुफ्त किताबे, पोशाक, छात्रावास, मध्याह्न भोजन, छात्रवृति जैसे अनेको योजनाए बनाकर शिक्षा स्तर में सुधार का प्रयास किया गया। इसके वाबजूद ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति में इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं हो सका है। जिस कारण आज भी अनुसूचित जाति की महिलाओ में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत नहीं हो सका है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं में निर्धनता की स्थिति:-

अनुसूचित जाति की महिलाओं में आज भी निर्धनता का स्तर उच्च है। जिस कारण उसके पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं में शहरो की अपेक्षा बहुत अधिक दयनीय है। इसका मुख्य कारण शिक्षा एवं कौशल का अभाव है। जिस कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं का व्यापक शोषण होता है। समान कार्य करने के बावजूद पुरूष के अपेक्षा महिलाओं को मजदूरी बहुत कम दिया जाता है। इसका भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में कौशल का अभाव होने के कारण कम मजदूरी वाला पारम्परिक एवं खेतों में ही काम करना पड़ता है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं में निर्धनता के कारण बच्चो का परवरिश भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते है। सरकार द्वारा प्रतिमाह न्युनतम दर पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। जिससे की गरीबी पर नियंत्रण संभव हो सके, परंतु इसका लाभ भी बिचौलिए के कारण बहुत से अनुसूचित जाति को नहीं मिल पाता है। अशिक्षा के कारण इन सुविधाओं से वंचित रह जाती है।

अनुसूचित जाति का शैक्षिक प्रावधान:-

संवैधानिक प्रावधान :-

संविधान का अनुच्छेद-46 निर्दिष्ट करता है कि "राज्य कमजोर समूहों, विशेष रूप से अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति को विशेष उपचार, शिक्षा और आर्थिक हित, और सामाजिक असमानता और अन्य प्रकार के सामाजिक शोषण से प्रोत्साहित और सुरक्षित करेगा।" अनुच्छेद-330, 332, 335, 338 से 342 और पाँचवीं और छठी विधायी अनुसूचियाँ अनुच्छेद-46 में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अद्वितीय आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं।

विशेष प्रावधान:-

स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के शैक्षिक आधार को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। राष्ट्रीय शिक्षा रणनीति (1986) और हस्तक्षेप कार्यक्रम (1992) को प्राथमिक शिक्षा विभाग के रोमांचक कार्यक्रम में मिला दिया गया, साहित्य, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा इस प्रकार है:

सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों के लिए कम से कम अधिकतम प्राथमिक स्तर तक शिक्षण शुल्क समाप्त करना। वास्तव में, अधिकांश राज्यों ने वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क समाप्त कर दिया है।

इन छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, पोशाक, स्टेशनरी, स्कूल बैग आदि जैसे प्रोत्साहन प्रदान करता है।

13 दिसंबर, 2002 को सूचित किया गया वैधानिक (86वां) डिल, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए एक बुनियादी अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए):-

यह देश की प्राथमिक स्कूल प्रणाली के आकार को बदलने की योजना बना रहा है और 2010 में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मूल्यवान और विश्वसनीय प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का इरादा रखता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी):-

यह योजना लड़कियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों, कामकाजी बच्चों, शहरी गरीब बच्चों, ऑटिस्टिक बच्चों आदि जैसे कमजोर समुदायों पर केंद्रित है। लड़कियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ हैं; हालाँकि, भौतिक लक्ष्यों को एक एकीकृत तरीके से तय किया जाता है, जिसमें इन समूहों का कवरेज भी शामिल है।

प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल):-

यह उन लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के तत्वों को जोड़ता है जो वंचित या वंचित हैं। शिक्षा पिछड़े ब्लॉक (ईबीबीएस) में नीति शुरू की जा रही है, जहां ग्रामीण महिला आबादी राष्ट्रीय औसत से कम है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनुसार, लिंग अंतर राष्ट्रीय औसत के साथ-साथ कम से कम 5% एससी/एसटी आबादी वाले जिला ब्लॉकों से अधिक है, और 1991 के परिणामस्वरूप महिला साक्षरता 10 प्रतिशत से कम है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय:-

मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए प्राथमिक बोर्डिंग सुविधाओं के साथ कठिन स्थानों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तहत एक निजी स्कूल की स्थापना की जा रही है। यह प्रणाली केवल ऐसे शैक्षिक रूप से परिभाषित पिछड़े ब्लॉकों तक ही विस्तारित होगी। जबकि 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, और लैंगिक असमानताएं राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं, इन ब्लॉकों में, आदिवासी शहरी आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूल विकसित किए जा सकते हैं, महिलाओं के लिए साक्षरता, और बड़ी संख्या उन लड़कियों की जो स्कूल छोड़ चुकी हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद-15: राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाते हैं। यह पहला लेख है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात करता है। यह प्रावधान करता है कि राज्य कुछ चुनिंदा लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और संविधान में कुछ भी इस प्रावधान के विपरीत नहीं आता है। यह लेख संवैधानिक ढांचे में आरक्षण के निर्माण की नींव प्रदान करता है।

अनुच्छेद-17: यह लेख सामाजिक हलकों में समानता लाने के लिए किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है।

अनुच्छेद-330: यह लेख लोगों के घरों में इच्छित जातियों के लिए सीटों को आरक्षित करने के प्रावधान की अनुमति देता है। यह लेख आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए शायद सबसे बड़े वादे की गारंटी देता है। इस अनुच्छेद के तहत एक कोटा के नाम पर एक अनुसूचित जाति नागरिकों के घरों में अपेक्षित और कुछ अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए आरक्षित होगी।

अनुच्छेद-338: संविधान के अनुच्छेद-338 में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामले इस विशेष अधिकारी को रिपोर्ट किए जाएंगे, जो बदले में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे।

साक्षरता और औपचारिक शिक्षा के मामले में अनुसूचित जाति अभी भी सामान्य आबादी से बहुत पीछे है। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर केवल 18.43% है, जबकि सामान्य आबादी के लिए यह 38.54% है।

निष्कर्ष:

आजादी के 75 साल बाद भी, देश की महिलाएं, खासकर दलित समुदाय की महिलाएं, अभी भी निरक्षरता की श्रेणी में आती हैं और अविकसित हैं। महिलाओं के विकास के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद, विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलाएं, अशिक्षित बनी हुई है। अनुसूचित जाति की महिला, जहां भी रहती है, कई तरह की सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं का सामना करती है। निचली जाति की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति के उत्थान के लिए सरकार द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। जिससे की उसके सामाजिक व आर्थिक विकास में सहायक हो। वर्तमान में अशिक्षा के कारण ही अनुसूचित जाति की महिलाओं में निर्धनता भी व्यापक रूप धारण कर चुकी है। इसके परिणामस्वरूप उसके बच्चो के शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान को निराकरण हेतु प्रयास करना चाहिए।

संदर्भ सूची:-

1. आहूजा, राम। (2008), सोशल रिसर्च, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. आनंद, मिली रॉय और यादव, मोना (2006), शिक्षा में अनुसूचित जाति की लड़कियों को शामिल करना: आगे एक लंबा रास्ता, सामाजिक परिवर्तन में 114-130, खंड, 36, न- 4 दिसंबर 2006.
3. कद्रा, आर. और प्यारी, ए., "पारिवारिक जलवायु और आय और शैक्षिक उपलब्धि के निर्धारक," व्यवहार वैज्ञानिक, 2004; खंड 5 (1), पीपी. 55-57.
4. गोयल, एस.पी. (2004), सामुदायिक मार्गदर्शन और अनुसंधान जर्नल में शैक्षिक आकांक्षाओं पर लिंग, घर और पर्यावरण का प्रभाव 77-81.
5. चुरियाना, पी. (2017), भारत में दलित महिलाओं की शैक्षिक स्थिति: परिवर्तन और चुनौतियां, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी (ISSN 2455-2526).

6. देवी, एस., और मयूरी, के., "द इफेक्ट ऑफ़ द फ़ैमिली एंड स्कूल चिल्ड्रन," जर्नल ऑफ़ कम्युनिटी गाइडेंस एंड रिसर्च, 2003, वॉल्यूम। 20 (2), 139-148.
7. पांडे, ए., और नंदा, पी. (2005), नर्सरी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की स्कूल की तैयारी गैट्स और शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शोध सार, पंजाबी विश्वविद्यालय के शिक्षा और सामुदायिक सेवा विभाग।
8. मिश्रा, के.एस. (1982), गृह पर्यावरण सूची के लिए मैनुअल। राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक निगम, आगरा।
9. वामदेवप्पा, एच.वी. (2005), "माता-पिता की शिक्षा की प्रभावशीलता का अध्ययन," शैक्षिक अनुसंधान और विस्तार जर्नल, वॉल्यूम 42(2), 23–32.
10. वानखेड़े, जी.जी., (1999), "सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ़ शेड्यूल्ड कास्टिंग: सम क्रिटिकल इनसाइट," इंडियन जर्नल ऑफ़ सोशल वर्क, वॉल्यूम 60, खंड 60.
11. सक्सेना, वंदना (1988), "हाई स्कूल के छात्रों की समायोजन चिंता, उपलब्धि प्रेरणा, आत्म-अवधारणा और शैक्षणिक उपलब्धि पर पारिवारिक संबंधों के प्रभाव का एक अध्ययन," आगरा विश्वविद्यालय ने एमबी में उद्धृत किया। बुच वीथ सर्वे।

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 **Impact Factor – 7.328**
Peer Reviewed **Bi-Monthly**
Vol.3 No.7 **Nov – Dec 2022**

जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर प्रभाव (ग्वालियर-चम्बल संभाग के संदर्भ में)

संजीव दोहरे[1] डॉ शैलेन्द्र सिंह तोमर[2]
१शोधार्थी अ.वि. भूगोल शासकीय महाविद्यालय गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
[2]प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग शासकीय कमलाराजा आटोनेमस स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
Corresponding Author- **संजीव दोहरे**
Email- sanjeev07051984@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.7431932

शोध संक्षेपिका :-

जलवायु परिवर्तन का संबंध वायुमंडल के उष्मा संतुलन, आद्रता, मेघाच्छन्दता एवं वर्षा में त्वरित या अचानक परिवर्तन या दीर्घकालिक परिवर्तन से होता है। जलवायु में इस तरह के परिवर्तन तो वाह्य कारको और आंतरिक कारकों के दोनों प्रभावों के परिवर्तन से होता है। बाह्य कारकों के अंतर्गत पृथ्वी की अक्षीय विशेषताओं में परिवर्तन, सौर परिवर्तन शीलता, सूर्य के प्रकाश मंडल में विकरणों में उतार-चढ़ाव, महाद्वीपों की विवर्तनिक प्रक्रिया, प्लेट विवर्तनिकी एवं महाद्वीपीय विस्थापन में वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन हैरी हैस का सागर निखिल प्रसरण एवं भार्गेन का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन वायुमंडलीय गैसों के संयोजक में परिवर्तन सौर विकरण में विभिन्नता मानवीय कारकों का प्रभाव वैश्विक व्यापक का प्रभाव हरित ग्रहों का प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन के संकेतक तथा आंतरिक कारकों के जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल के मध्य ऊर्जा का गमन विभिन्न महत्वपूर्ण होता है जलवायु परिवर्तन स्थानीय प्रादेशिक दो देशों में अलग-अलग प्रभाव होते हैं लेकिन आज जलवायु परिवर्तन एक विश्व की दृष्टि से चिंतनीय विषय के रूप में बना है इसका प्रभाव संपूर्ण जीव जगत पर देखा जा रहा है जिसका मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइ अहक्साइड की मात्रा में धरातलीय तापमान में ०.५ डिग्री से ०.७ डिग्री तक वृद्धि हुई है सामान्यता कहा जाता है कि किसी प्रदेश की जलवायु संबंधी दशाओं में होने वाला परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन कहलाता है।

मुख्य बिंदु :- मध्य प्रदेश एवं ग्वालियर चंबल संभाग की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के जैव विविधता, कृषि, मानव मृदा एवं समस्त जीव जगत पर प्रभाव, सुझाव, समाधान एवं निष्कर्ष वाह एवं अंतरिक कारण, मानवीय क्रियाओं में वृद्धि एवं आईपीसीसी रिपोर्ट २०२१

प्रस्तावना :- जलवायु परिवर्तन आज भारत एवं विश्व की एवं ज्वलंत समस्या के रूप में उभरी है जलवायु किसी भी प्रदेश का स्थान पर अलग-अलग प्रकार की पाई जाती है जैसे हमारे भारत देश को चार भागों में उत्तरी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत तथा दक्षिणी भारत के रूप में स्थित है। जिसके अक्षांशीय विस्तार ८ह४ उत्तरी अक्षांश से ३७ह६ उत्तरी अक्षांश तथा ६७ह७ पूर्वी देशांतर से ६७ह२५ पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। इसी भारत के मध्य भारत में हमारा हृदय प्रदेश के नाम से पहचानने वाला राज्य मध्यप्रदेश है, मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट, सोया प्रदेश, नदियों का मायका, विंध्य प्रदेश, चीता प्रदेश, सांची प्रदेश, तानसेन प्रदेश एवं हृदय प्रदेश आदि नामों से संबोधित करते हैं। जिस की भौगोलिक स्थिति २१ह उत्तरी अक्षांश से २६ह उत्तरी अक्षांश तथा ७४ह पूर्वी देशांतर से ८२हए ४८ह पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि

पिछले कई युगों कालों से जलवायु परिवर्तन की लहरों में से अगर जलवायु परिवर्तन की रोकथाम नहीं की गई तो हमें जैव विविधता की २५ः प्रजातियां २०५० तक समाप्त हो जाएंगे पृथ्वी के पूर्व में जलवायु परिवर्तन के कारण पहली लहर अहर्डोहविशियन कहल ४४८ मिलियन वर्ष पूर्व, दूसरी लेवल ३६५ वर्ष पूर्व, तीसरी लहर कहल २८६ २१०६६ एवं मानव की परिवर्तन गतिविधियां हैं। जिसमें चार लहरों का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और पांचवी लहर में पृथ्वी पर उल्कापात जिसके चलते जुरासिक काल में डायनासोरों का विनाश हुआ है। छठी लहर के रूप में मानव की गतिविधियां संपूर्ण एवं जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, मनुष्य में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों का विनाश किया है, कृषि क्षेत्रों का विस्तार, नगरों का विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, यातायात का विस्तार, खनन कार्य एवं भूमि दान आदि के कारण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता रहा है, जिसके दुष्प्रभाव समस्त जीवीय समुदाय पर देखा जा रहा है।

अध्ययन क्षेत्र :- प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से ग्वालियर-चंबल संभाग है। दोनों संभाग में आठ जिले मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना एवं अशोकनगर जिलों मेंजैव विवधिता जैव पर्यटन स्थल स्थित हैं। ग्वालियर-चंबल संभाग की भौगोलिक स्थिति का ध्यान एवं २६ उत्तरी अक्षांश एवं सत्र पूर्वी देशांतर संयासी पूर्वी देशांतर।

ग्वालियर एवं चम्बल संभाग की भौगोलिक स्थिति जिलेवार

क्र.	जिला	अंक्षाशीय	देशान्तरीय	समुद्र तल से ऊँचाई
१.	ग्वालियर	26º.14 º N	78 º.10 º E	१९७ मी.
२.	दतिया	25º.40 º N	78 º.27 º E	३०२ मी.
३.	गुना	24º.40 º N	77 º.20 º E	४७४ मी.
४.	शिवपुरी	25º.32 º N	77 º.48 º E	४६२ मी.
५.	अशोकनगर	24º.57 º N	77 º.72 º E	५०७ मी.
६.	मुरैना	26º.32 º N	78 º.00 º E	१७७ मी.
७.	श्योपुर	25º.47 º N	76 º.52 º E	२२९ मी.
८.	भिण्ड	26º.35 º N	78 º.46 º E	१६७ मी.

अध्ययन क्षेत्र का उद्देश्य :-

१. प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र का मुख्य उद्देश ग्वालियर चंबल संभाग में उपस्थित स्थलों के विकास में बाधाओं का पता लगाना है एवं जैव विविधता विकास की संभावनाओं का पता लगाकर जल पर्यटन स्थल के विकास हेतु रूपरेखा तैयार करना है।
२. ग्वालियर चंबल संभाग एवं उसके समवर्ती जैव स्थलों की जानकारी एवं संरक्षण के लिए प्रशिक्षित करना है
३. जैव स्थलों पर वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से हो रहे प्रभावों से अवगत कराना है जिससे हो रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बताया जा सके।
४. अध्ययन क्षेत्र में विद्यमान राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में जब पर्यटकों को अवगत कराना है।
५. जैव स्थलों के लिए आने वाले पर्यटकों को होटल यातायात एवं सुलभ सुविधाओं की व्यवस्था करना है ताकि पर्यटकों को आकर्षित कर सकें।
६. अध्ययन क्षेत्र में जैव विविधता के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करना है।

विधि तंत्र :- ग्वालियर चंबल संभाग में जैव विविधता क्षेत्र में समस्या एवं संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में दूरस्थ विद्वान जब स्थलों का पता लगाने के लिए अवलोकन विधि का उपयोग किया गया है, क्षेत्र में जैव विकास की बाधाओं एवं संभावनाओं का पता करने के लिए सहायताकार प्रश्नावली विधि का उपयोग किया है, इसमें जैव विविधता के नवीन क्षेत्रों का पता लगाकर अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना है, तथा वित्तीय आंकड़ों के लिए जैव विविधता बोर्ड के द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों की सहायता ली है।

जलवायु परिवर्तन की समस्याऐें :- जलवायु परिवर्तन इतिहास की प्रमुख समस्याओं में से एक है। देखा जाए तो पिछले १०० वर्षों में से परिवर्तन प्रारंभ हो गया है जो आज जैव विविधता एवं मानव सभ्यता के लिए समस्या बनी है। जलवायु परिवर्तन नवीन घटना नहीं है बल्कि यह पृथ्वी के वायुमंडल ऊष्मा समीकरणों में परिवर्तन कर निर्धारित समय से पूर्व वर्षा ऋतु का आगमन, वर्षा के दिनों की संख्या में परिवर्तन, अभूतपूर्व शीत लहर तथा लू अप्रत्याशित हिमपात, ग्रीष्म काल में उच्चतम तापमान का अधिकतम सीमा से ऊपर पहुंच जाना आदि वैश्विक जलवायु की समस्याएं आज हमें देखने को मिल रही हैं। अभी हाल ही में वर्ष २०२२ में अक्टूबर माह में १० से १५ अक्टूबर तक वर्षा का होना जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, जिसे समस्त मध्य प्रदेश वासियों की आर्थिक कृषि का प्रभावित हुआ। वह रवि ऋतु फसल की बोवनी लेट हुई है जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बन गई है, आज इस मुद्दे पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमीनार वर्कशहप एवं कार्यशाला में इस पर विचार किया जा रहा है। इन समस्याओं को विकासशील देश एवं गरीब देशों पर देखा जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक :- जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक एवं मानवीय कार्य के द्वारा प्रभावित होती है। औद्योगिकीकरण से पहले इस प्रक्रिया में मानवीय कारकों की भूमिका कम थी परंतु आज औद्योगिकीकरण नगरीकरण की प्रक्रिया एवं संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक तापन व प्रदूषण रूप में एक गंभीर समस्या सामने आई है, आज जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय कारक हैं।

प्राकृतिक कारकों द्वारा जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव :- वायुमण्डल में सामान्यतः अस्थिरता की दशा में रहता है। जिस कारण से मौसम एवं जलवायु में समय एवं स्थान के संदर्भ में अल्पकालीन से लेकर दीर्घकालीन परिवर्तन होत रहते हैं। दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तन हजारों वर्षों मे स्थाई होते हैं।

सौर विकिरण विभिन्नता से जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव :- पृथ्वी की कक्षीय स्थिति में बदलाव एवं झुकाव आदि में परिवर्तन के कारक पृथ्वी को प्राप्त होने वालों सूर्यताप की मात्रा घटती बड़ती रहती है। यह प्रक्रिया सौर्यिक विकिरण की मात्रा में दीर्घकालिक वृद्वि असे वायुमण्डल को उष्मा प्राप्त होती है, जिस कारण से वायुमण्डल में गर्म जलवायु का अभिभाति होता है। जिससे हिम चादर उवं हिमालय पिघलने में सिथत सभी जीवीय समुदाय पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बहुत से जीव जन्तुओं की प्रजातियॉं नष्ट हो चुकी हैं।

सौरकलंक चक्र का जलवायु पर प्रभाव :- ब्रह्मण्ड में यह एक खगोलीय घटना है, जिसमें सूर्य पर काले तत्वों की संख्या में वृद्धि से सोरकलंक सक्रियता बड़ जाती है। जिससे सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती है। इसी प्रकार सौर कलंक की संख्या घटने से सौर विकिरण की मात्रा में ह्रास होत है । इस प्रकार जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैव विवधिता एवं अन्य सभी क्रियाओं पर पड़ता है।

ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव :- ज्वालामुखी विस्फोट के समय धूल, राख तरंग सौर्यक विकिरण कूछ भाग का निचले क्षोमण्डल में प्रकीर्णन परावर्तन एवं अवशोषण द्वारा क्षय कर देता है, और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। सन् १९९१ में फिलीपिन्स में पिनातोबा ज्वालामुखी ०.५० तक गिर गया था।

पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन :- हमारी पृथ्वी की कक्षा में दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाकर सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी में अन्तर वर्षभर परिवहर्तित होता रहता है, जिससे तापमान में वृद्धि तथा कमी दोनों के लिए उत्तरदायी होता है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है।

वायुमण्डलीय गैसीय संयोजक में परिवर्तन :- वायुमण्डल में कार्बन डाई आक्साइड, नाइबस आक्साइड, मीथेन जलवायु आदि की मात्रा में निरन्मर परिर्वतन होता रहता है। इनके उत्सर्जन से मुख्यतः प्राकृतिक कारक ही सम्मिलित रहते है यह गैसों के असंतुलन को विगाड़ते रहते हैं इसमें अधिकतर मानवीय गतिविधियां रहती हैं। जिसकी क्षमता जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है।

मानव जनित कारकों का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव :- मानव जनित कारकों में भूमि उपयोग में परिवर्तन, नगरीकरण, औद्योगीकरण एवं वनों का विनास आदि द्वासरा जलवायु परिवर्तन होता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक मानव जनित समस्या है। क्योंकि मनुष्य की अपनी समस्या क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करता है। मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के सायं व्यापक छेड़छाड़ की क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन को विगाड़ दिया है। जिसके दुष्प्रभाव मानव एवं जैव सम्पदा पर दिखा जा रहा है। मानवीय क्रियाओं का जलवायु परिवर्तन में योगदान -

प्राकृतिक संसाधनों के दुरूपयोग से जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव।

नगरीकरण एवं तीव्र औद्योगीकरण से जलवायु परिवर्तन।

जीवाश्म ईंधनों उपयोग से जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव।

बड़े पैमाने पर भू उपयोग में बदलाव।

वातावरण में ब्व२ एवं अम्ल गैस के उत्सर्जन में वृद्धि।

समताप मएडल में ओजोन मंडल का ह्रास।

वैश्विक तापन में वृद्धि।

जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर प्रभाव :- जैव विविधता हतारी जैविक धन है जो लगभग ४ विलियन वर्षों के विकास की देन है। अस जैविक धन की निरन्तर क्षति ने मनुष्य एवं जैव विकास के अस्तित्व के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर दिया है। आज दुनिया में विकासशील देशों में जैव विवधिता का क्षय आज गम्भीर चिन्ता का विषय बन गया है। जिसके चलते प्रति वर्ष १५००० से ५०००० प्रजातियों की क्षति हो रही है। यह आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के विनास का मुख्य कारण होगा। जलवायु परिवर्तन मानव एवं जैव परिस्थितिकी तनों को काफी समय से प्रभावित कर रहा है। जिसमें बड़ती मानवीस गतिविधियों से जैव आवास का विनाश, विदेषी नस्लों का आगमन अचानक से वायरस वापसी आदि कारकों से जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन एक घातक लहर के रूप में देखी जा रही है। जिसमेंद -

जैव एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव।

कृषि एवं आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव।

भोजन सुरक्षा पर प्रभाव।

आहार की गुणवत्ता पर प्रभाव।

परितन्त्र एवं जैव विविधता पर प्रभाव।

जैव स्थल केन्द्र पर प्रभाव।

जैव आवासों पर प्रभाव।

जैव श्रृंख्ला पर प्रभाव।

जल संसाधन के स्त्रोंतो पर प्रभाव।

ग्लेशियरों के पिघलनें पर प्रभाव।

वायुमण्डलीय दशाओं पर प्रभाव।

मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव।

अति वृष्टि का होना।

अति कठोर मौसमी घटनाओं का होना।

प्राकृतिक आपदाओं का आना जैंसे कोविड-१६।

बाढ़ के रूप में प्रभाव।

जैव प्रजातियों के रूप में ह्रास।

आई.यू.सी.एन (IUCN) कें अनुसार जलवायु परिवर्तन का जैव प्रभाव :-

जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

जैव विविधता के आवासों में संकुचन आएगा।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मरूस्थ्लीकरण में वृद्वि होगी।

स्थलीय एवं जलीय परितन्त्र को हानि पहुँचेगी।

पादप एवं जंतुओं के वितरण मे खिसकाव जैंस –

१. प्रजाति विलोपर का खतरा।

२. कृषि फसलों पर प्रभाव पड़ेगा।

३. कुछ घास क्षेत्रों के पादप एवं वनस्पतियों का विलोपन।

प्च्ब्ब रिर्पोट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर प्रभाव :– भारत में प्राकृतिक पारितन्त्र की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। चाह वह वन हों, आर्दभूमि हो या समुद्री क्षेत्र हो। ये पूरे देश में वितरित हैं। IPCC की हाल की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में तापन दर ०.५ह से ०.७ह तक पहुॅच चुकी है। जिसका हिमालय ग्लेशियर वर्तमान में ५००००० वर्ग कि.मी. से सिकुड़कर २०३० तक १००००० वर्ग कि.ती तक रह जायेगा। जलवायु परिर्वतन के प्रभाव से ग्लेशियर का पिघलना, बारहमासी नदियों के जन बहाव में कमी मानसून काल में अनिश्चित वर्षा, शीत ऋतु अवधि का घटना एवं ग्रीष्म ऋतु अवधि में वृद्धि एवं वर्तमान के हाल ही वर्ष के अक्टूबर १० से १५ अक्टूबर २०२२ में अति वर्षा के प्रभाव से ग्वालियर–चम्बल संभाग में खरीफ की फसल पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखा गया था। अगर इस पर चिन्तनीय विचार नहीं किया गया तो आने वाली पीड़ी का भविष्य खते में होगा जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते हैं। क्योकि जलवायु परिर्वतन के प्रभाव, कृषि, तटीय एवं भू आतिष्टित राज्यों, जल संसाधन, आदि पर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक खाद्य उत्पादन का करीब १/४ (एक चौथाई भाग) हिस्सा २०५० तक जलवायु परिवर्तन, मृदा परिवर्तन एवंज ल संकट के सम्मिलित प्रभाव से खत्म हो जायेगा।

जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु समझौते–वार्ताओं में सक्रियता लाना :–

1- इस पटल में राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के उद्देश्य से भारत ने अप्रैल २०1६ में पैरिस समझौते पर हस्ताक्षर किये जिससे हत जलवायु परिर्वतन के प्रभावों को रोक सकें।
2- बड़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं ने ही वन सम्पदा का विनाश, कॉलोनियों का विस्तार, कृषि क्षेत्र का विस्तार आदि कारणों ने ही जलवायु परिवर्तन में विशेष योगदान दिया है। जिसका परिणाम आज हमें वर्तमान में दिख रहा है। वनों के विनाश, अनियत्रित वर्षा आदि के रूप में।
3- परिर्वतन के संसाधनों में तेजी से वृद्धि भी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है।
4- स्पेस क्षेत्र परिमाणु परीक्षण भी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है।
5- ज्लवायु परिर्वतन पर रोकने के लिए राष्ट्रीय राज्य स्तर पर कार्य योजना तैयार करना।
6- राज्य सरकार के द्वारा जिला एवं तहसील स्तर राष्ट्रीय सौर मिशनों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उसके साथ ही उनकों सौर चैनल स्थापन के लिए लोन दिलाना चाहिए। जिससे जलवायु परिर्वतन के प्रभाव को रोका जा सके।
7- जलवायु परिर्वतन के प्रभाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा क्षमता मिशन को बढ़वा देना।
8- राष्ट्रीय सतत् पर्यावास मिशन को बढ़ावा देना।
9- राष्ट्रीय जल मिशन को बढ़ावा देना।
10- राष्ट्रीय हरित मिशन को बढ़ावा देना।
11- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन को बढ़ावा देना।
12- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन राजनीतिक ज्ञान मिषन के प्रशिक्षण के द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बताकर उसके प्रभाव को कम करने के लिए उनको बताना।

जलवायु परिवर्तन के संबंध में सुझाव एवं निष्कर्ष :– जलवायु परिवर्तन एक चिंतनीय विषय के रूप में उभरकर आज वर्तमान की समस्तया बन गया है। इस पर विचार विमर्श आज राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। वर्तमना में वैश्विक जलवायु परिर्वतन को रोक पाना

मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि आज की बड़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं ने एवं वैश्विक तापन ने जलवायु परिवर्तन को जन्म दिया है। जिसके दुष्प्रभाव आज मानव, जैव विविधता, कृषि विविधता, मृदा, जल संसाधन, स्वास्थ्य, मानसिक एवं दैनिक जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पड़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए छोटे से स्तर पर भी कार्यशालाओं के द्वारा, सेमीनारों के द्वारा, राष्ट्रीय संगोष्ठियों के माध्यम से, पाठ्यक्रमों के माध्यम से, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से एवं चुनौतियों के माध्यम से जलवायु परिर्तन के प्रभावों से अवगत कराकर कार्बन उत्र्सजनों के यंत्रों पर रोक एवं वृक्षारोपड़ को वड़ावा देकर भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। नहीं तो आने वाले समय के प्रभाव से हमें भविष्य की कल्पना करना तो दूर की बात है। इसके प्रभाव के द्वारा समस्त जीवीय समुदाय नष्ट होने की कगार पर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1- ''पर्यावरण एवं पारिस्थितकी'' दृष्टि पब्लिकेशन, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली पृष्ठ क्र. 181] 182] 183
२. संतोष कुमार शर्मा, ''विज्ञान प्रगति'' सी.एस.आई. आर. प्रकाशन नई दिल्ली।
३. डॉ अतीन्द्र सिंह तोमर - ''पारिस्थिकी पर्यटन'' भाग-२ राधा पब्लिकेषन नई दिल्ली।
४. डॉ सविन्द्र सिंह - ''पर्यावरण भूगोल'' प्रयोग पुस्तक भवन, इलाहाबाद पृ.क्र.280 से 287 तक।
५. के.सिद्धार्थ एवं बृजेश नारायण - ''पारिस्थितिकी पर्यावरण एवं संरक्षण'' किसल्या पब्लिकेशन प्रायवेट लिमिटेड नई दिल्ली पृ.क्र. २५६, २५८, २५९ एवं २६०।
६. IUCN रिर्पोट के अनुसार।
७. IPCC रिर्पोट के अनुसार।

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.3 No.7 Nov – Dec 2022

"हिन्दी साहित्य का विविध युग और हिन्दी आलोचना"

डॉ. भीमसिंग के. राठोड
हिन्दी अध्यापक स.मा.शा के.एस. आर. पी. कलबुर्गी (कर्नाटक)
Corresponding Author- **डॉ. भीमसिंग के. राठोड**
Email- bkrathod1@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.7437244

प्रस्तावना:-

हिन्दी गद्य की अन्य विधाओं के समान वर्तमान हिन्दी समालोचना भी एक प्रकार से पाश्चात्य साहित्य की देन है। संस्कृत आलोचना - पध्दति का विवेचन करते हुए हम पीछे कह आये हैं कि उसका आधार विस्तृत अथवा सार्वदेशिक और सार्वकालिक साहित्य नहीं था, परन्तु आज उसका अर्थात् हिन्दी आलोचना का पहले का सीमित दृष्टिकोन अत्यंत विस्तृत और व्यापक बन गया है। अब हम साहित्य के विशिष्ट गुणों या अंगों की सीमित आलोचना से हटकर विश्व साहित्य को आधार मान, उसकी आलोचना करने लगे हैं। आज हम सम्पूर्ण विश्व की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक गतिविधियों के प्रकाश में अपने साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। अब साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं माना जाता। इसी कारण अब रस, अलंकार, ध्वनि आदि का विवेचन रूढि का पालन मात्र माना जाता है। अब तो हम यह देखते है कि इस संघर्षशील युग में हमारे साहित्यकार युग की भावनाओं का प्रकाशन निष्पक्ष रूप से अंकित करने में सफल हुए है या नहीं। आज की आलोचना का मेरूदण्ड इसी को माना जा सकता है। अपने इस विस्तृत रूप तक आने में हिन्दी आलोचना ने मुक्त हृदय से पाश्चात्य आलोचना के सहयोग को स्वीकार किया है । इसी कारण आज हिन्दी की आलोचना के नवीन रूप को पाश्चात्य आलोचना का प्रतिरूप सा माना जाता है।

आलोचना की परिभाषा –

'आलोचना' शब्द की व्युत्पत्ति 'लुच' का अर्थ है- देखना | 'आलोचना' का शब्दार्थ इस प्रकार का माना जा सकता है- किसी वस्तु या पदार्थको विशेष मर्यादित या नियंत्रित दृष्टि से देखना। आलोचना की परिभाषा करते हुए डॉ. श्यामसुन्दरदास ने लिखा है- "साहित्य-क्षेत्र में ग्रन्थ को पढकर उसके गुणों और दोषों की विवेचना करना और उसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करना आलोचना 'कहलाता है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा ।" आलोचना के कार्य और प्रभाव को स्पष्ट करते हुए बाबू गुलाबराय कहते है कि- "आलोचना का मूल उद्देश्य - कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना, उनकी रूचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गतिविधि निर्धारित करने में योग देना है। अंग्रेजी के प्रसिध्द आलोचक कार्लायल के अनुसार "आलोचना कृति के प्रति उद्भूत आलोचक की मानसिक प्रतिक्रिया का प्रतिफलन है।" तथा मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है कि "आलोचक को तटस्थ भाव से वस्तु के भाव से वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का अनुभव और प्रचार करना चाहिए। आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता है-तटस्थता ।" इन उक्तियों से आलोचना का स्वरूप और कुछ सामान्य गुण तथा विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती है । पूर्व परम्पराएँ- भक्तिकालीन हिन्दी - साहित्य में आलोचना पहले-पहल काव्यगत गुण दोष तक ही सीमित रही है। भक्तिकाल में उसका रूप टीकाओं के रूप में मिलता है। 'मानव' और 'बिहारी सतसई' विभिन्न टीकाएँ और उनके विभिन्न अर्थों

की व्याख्या की परम्परा काफी समय तक चलती रही । भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने तत्कालीन कृष्ण - साहित्य की पद्यानुबध्द विवरणात्मक आलोचनाएँ लिखी। इसके लिए नाभादास का 'भक्तमाल' उल्लेखनीय है ।

उसके अतिरिक्त सूर सूर तुलसी ससी' तथा 'तुलसी गंग दुबी भए सुकविन के सरदार' जैसे प्रशंसा अथवा अप्रशंसा-सूचक सूत्रों का प्रचार था। ये आलोचनाएँ आलोच्य कवि या कवियों का जनमत पर आधारित मूल्यांकन तो कर देती थी, परन्तु आधुनिक साहित्यिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण थी।

रीतिकालिन आलोचना- रीतिकाल में लक्षण-ग्रन्थों के रूप में रस, अलंकार, छन्द, नायक-नायिका के विभिन्न भेदपभेदों का वर्गीकरण करने में ही समालोचना का रूप समाप्त हो गया था उस समय निर्माण की सुधरता विभाव और अनुभवों आदि की यथाक्रम योजना, विभिन्न संचारी व्यभिचारी भावों के नियमबध्द निरूपण आदि ही काव्य के मुख्य लक्षण रह गये। काव्य-समीक्षा भी इन्हीं रचनात्मक बारीकियों और पध्दति रक्षा के प्रयत्नों तक सीमित रही। रीति-काल में प्रधान रूप से दो प्रकार की समीक्षा पध्दति के दर्शन हुए- अलंकारवादी और रसवादी । केशव और उनके अनुयायी अलंकारों के विवेचन में दत्तचित रहे । मध्य-युग में हिन्दी गद्य लिखने का प्रचलन अधिक नहीं था. इसी कारण उस युग में आलोचना का विकास नहीं हो सका। इस युग में लक्षण-ग्रन्थों में रस, छन्द, अलंकार, शब्द-शक्ति, नायक-नायिका भेद तक ही आलोचना का रूप सीमित रहा।

भारतेन्दु-युगीन आलोचना- १९वीं सदी में गद्य की अन्य विधाओं के जन्म और विकास के साथ-साथ समालोचना अपना नया स्वरूप धारण कर आगे बढी । भारतेन्दु-युग में आकर हिन्दी - साहित्य के नवीन और बहुमुखी विकास ने आलोचना के स्वरूप और प्रकार मैं नये तत्वों का समावेश किया। साहित्यिक विवेचन का स्तर अधिक बौध्दिक हो गया। गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्ध आदि का आरम्भ हो चुका था। उनके विवेचन के लिए नए प्रतिमानों की आवश्यकता थी। इस साहित्यिक नवीनता के कारण इस काल की समीक्षा मैं रीतिकालीन पध्दति का प्रभाव तो रहा, परन्तु किसी विशेष शास्त्रीय नियम का पालन नहीं हो सका।

द्विवेदी-युगीन आलोचना- गम्भीर लेखों के रूप में पुस्तकों की विस्तृत आलोचना 'प्रेमघन' ने अपनी 'आनन्द कादम्बिनी' नामक पत्रिका से आरम्भ की। उन्होंने श्रीनिवासदास के 'संयोगिता स्वयंवर' नाटक की बड़ी विशद् और कड़ी आलोचना लिखी । इसी समय पं. बालकृष्ण भट्ट ने भी उक्त पुस्तक की आलोचना 'हिन्दी प्रदीप' में निकाली। इन दोनों आलोचकों में केवल दोष दर्शन की प्रवृत्ति अपनाई गई थी। आलोचना का पुस्तक रूप में आरम्भ महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'हिन्दी कालिदास की आलोचना' से हुआ । इससे संस्कृत के विद्वानों द्वारा कालिदास के काव्य सम्बन्धी भाषा और व्याकरण के दोषों को ही हिन्दी में उपस्थित किया गया। इस प्रकार उन्होंने नैषध चरित चर्चा', 'विक्रमांकदेव चरित-चर्चा' नाम पुस्तकों में भी इसी प्रणाली को अपनाया। आचार्य शुक्ल के शब्दों में "इन पुस्तकों को एक मुहल्ले में फैली बातों को दूसरे मुहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए। स्वतन्त्र समालोचना के रूप में नहीं ।"

आलोचकों का नया स्वरूप- द्विवेदीजी ने उपयुक्त ग्रन्थों की अपनी आलोचना द्वारा निर्णयात्मक और परिचयात्मक समालोचना का सूत्रपात किया। 'कालिदास की निरंकुशता' में निर्णयात्मक समालोचना के तथा अन्य दो पुस्तकों में परिचयात्मक आलोचना के दर्शन हुए। इनमें उन्होंने भाषा व्याकरण के व्यतिक्रम ही अधिक दिखायें। साथ ही सामाजिक आदशों को प्रधानता दी और प्राचीन कवियों की तुलना में भारतेन्दु और मैथिलीशरण गुप्त के काव्यात्थन की सराहना की। मिश्रबन्धु द्विवेदी युग के दूसरे बड़े आलोचक थे उन्होंने अपने हिन्दी नवरत्न नामक ग्रन्थ में हिन्दी के भी सर्वश्रेष्ठ कवियों की भाषा, भाव और शैली की दृष्टि से तुलनात्मक समालोचना प्रस्तुत कर उनका स्थान निर्धारित किया। इसमें उन्होंने बिहारी से देव को श्रेष्ठ प्रमाणित किया। इसके कारण बिहारी बड़े की देव नामक विवाद उठ खड़ा हुआ, जिसको लेकर पं. पद्मसिंह भार्मा ने 'बिहारी सतसई पर एक तुलनात्मक समालोचना लिखी, जिसमें सतसई परम्परा का सुन्दर उद्घाटन किया गया। शर्माजी के शब्दों अद्‌भुत शिल्पी और अभिव्यंजना-सौन्दर्य के परम पारखी थे ।

द्विवेदीकालीन आलोचना के विकास में दो पत्रिकाओं का विशेष हाथ रहा- 'सरस्वती और नागरी प्रचारिणी पत्रिका । इनमें पुस्तक समीक्षा या पुस्तक परिचय के साथ-साथ गवेषणात्मक और सैध्दांतिक आलोचना सम्बन्धी गम्भीर लेखों का प्रकाशन हुआ। डॉ. श्यामसुन्दरदास, राधाकृष्णदास, रत्नाकर, अम्बिकादत्त व्यास, गंगाप्रसाद अग्निहोत्री आदि के सुन्दर आलोचनात्मक निबन्ध निकले। गुण-दोष विवेचन प्रणाली से भिन्न समालोचना सिध्दातों का प्रतिपादन करनेवाले सर्वप्रथम ग्रन्थ के रूप में गंगाप्रसाद अग्निहोत्री की 'समालोचना' नामक पुस्तक इसी काल में लिखी गई। सैध्दांतिक समालोचना का वास्तविक सूत्रपात इसी से माना जा सकता है। इसमें उन्होंने नव- प्रकाशित पुस्तकों का चर्चा के रूप में समालोचना, हिन्दी में समालोचना प्रथा, समालोचना का ग्रन्थ सम्बन्धी ज्ञान, सहृदयता, सत्यता आदि पर प्रकाश डालते हुए बीच-बीच में अंग्रेजी समालोचना पध्दति का भी परिचय दिया। इस दृष्टि से इस ग्रन्थ का मूल्य माना जा सकता है।

आज हिन्दी आलोचकों में केवल दो ही आलोचक ऐसे है, जो शुक्लजी की स्पष्ट, निर्भीक और मार्मिक आलोचना की याद दिलाते है। वे है- पं. नन्ददुलारे वाजपेयी तथा डॉ. रामविलास शर्मा । इन दोनों आलोचकों में पर्याप्त सैध्दांतिक मतभेद होते हुए भी गहरी अन्र्तदृष्टि की एक ऐसी समानता है, जो उनकी आलोचनाओं को अधिक स्पष्ट, खरी और सर्वजन - सुलभ बना देती है। इन दोनों को बिना किसी भी सन्देह या पक्षपात के. आचार्य शुक्ल का सच्च उत्तराधिकारी माना जा सकता है। आज की आलोचना देश की तेजी से बदलती परिस्थितियाँ, उनके कारण उठनेवाली विभिन्न समस्याओं और नये जीवन मूल्यों का विवेचन करती हुई नये समीक्षा सिध्दांतों का निर्धारण करने में व्यस्त है। नई परिस्थितियों और नये जीवन-मूल्यों के सन्दर्भ में पुराने समीक्षा सिध्दांत की नई-नई व्याख्याएं प्रस्तुत की जा रही है। इस व्याख्या में सुविचारित सिध्दांतों की भी झलक मिल रही है और उधार लिए हुए ऐसे विदेशी सिध्दांतों का भी पिष्टपेषण किया जा रहा है, जो देश की वर्तमान परिस्थितियों मैं संगत नहीं बैठते, भले ही अपने जन्मस्थान की परिस्थितियों के अनुरूप रहे हो । समीक्षा क्षेत्र में बढ़ता ही चला जा रहा है। यह स्थिति चिन्तनीय अवश्य है फिर भी इतना विश्वास है कि इस विचार मन्थन से शुभ कल्याणकारी सिध्दांतों की उत्पत्ति अवश्य होगी.

निष्कर्षतः

आज हिन्दी की समीक्षा अधिकांशतः दिग्भ्रम में पड़ गई है। वह कई वर्ग में उलझ गई है। कहीं वैज्ञानिक अनुसंधानों के अन्धानुकरण में लगी हुई है और कहीं वह वैयक्तिक प्रतिक्रियाओं का प्रकाशन मात्र करती है। इन परिस्थितियों में द्विवेदी जी को यह श्रेय है कि उन्होंने हिन्दी की समीक्षा को एक अत्यंन्त उदात, नैतिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। द्विवेदी जी को मूल्यवादी अथवा गाँधीवादी समीक्षक की संज्ञा भी दी गई है, मूल्यवादी शब्द से द्विवेदी जी के मत की अभिज्ञता नहीं होती और गाँधीजी स्वयं मानवतावादी ही थे। इसलिए द्विवेदी जी को मानवतावादी समीक्षक कहा गया है।

संदर्भ: -

१. सं. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी : हजारीप्रसाद द्विवेदी
२. साहित्यिक निबंध: राजनाथ शर्मा
३. हिन्दी अनुशीलन : भारती हिन्दी परिषद प्रयाग
४. काव्यदर्पण: रामदहिन मिश्र
५. रस कलश: हरिऔध
६. देव और बिहारी: कृष्णबिहारी मिश्र
७. हिन्दी आलोचना की बीसवी सदी: निर्मल जैन

International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.3 No.7 Nov – Dec 2022

चंद्रपूर जिल्हयातील आंबेडकर चळवळीत महिलांचे योगदान

प्रा. डॉ. बि.आर.मस्के[1] प्रा. प्रफुल एम. राजुरवाडे[2]
[1]मार्गदर्शक वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर
[2] संशोधक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती
Corresponding Author- प्रा. डॉ. बि.आर.मस्के
DOI- 10.5281/zenodo.7437902

सारांश:-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या उदयामुळे दलित चळवळीला दिशा व गती मिळाली. चळवळीचे स्वरूप बदलले. चळवळ शहरापासून खेडयापर्यंत पोहोचली. जुने जाणते नागरिक, तरूण विद्यार्थी चळवळीत सक्रीय झाले. तसेच समाजाचा मुख्य घटक असलेली स्त्री सुध्दा दलित चळवळीत सक्रीय झाली. दलित चळवळ ही दलित समाजाच्या उत्थानाच्या चळवळीशी निगडीत होती. विदर्भात नागपूर सोबतच चंद्रपूर जिल्हयात सुध्दा दलित मुक्ती आंदोलनात दलित स्त्रिया सहभागी झाल्या. स्वतःच्या मुक्तीबरोबर समाजाच्या मुक्तीचा लढा लढण्यास त्या सज्ज झाल्या. 1932 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूर येथे झालेल्या अखिल भारतीय दलित काँग्रेसच्या अधिवेशनात ‘अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशनची स्थापना केली. त्या फेडरेशनमध्ये चंद्रपूर (सिंदेवाही) येथील कु. विरेंद्राताई तिर्थकार हया प्रांतिक महिला संघटक म्हणून कार्य करीत होत्या हे विशेष.

बिजशब्द:- दलित चळवळ, चंद्रपूर, डिप्रेस्ड क्लास, मुक्तीलढा, विरेंद्राताई इ.

प्रस्तावना:-
चंद्रपूर जिल्हयातील महिलांनी आंबेडकरी चळवळीत सक्रीय सहभाग घेतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा स्त्रीवादी दृष्टीकोन हा दलित स्त्री चळवळीकरीता महत्वाचा भाग ठरला. दलित स्त्री चळवळीत कार्य करणाऱ्या स्त्रिया या अशिक्षित व अल्पशिक्षित होत्या. परंतू त्यांना आपले हक्क व अधिकाराची जाणीव बाबासाहेबांनी करून दिली. परिणामी या स्त्रियांचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर प्रचंड विश्वास बसला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रूपाने या दलित चळवळीला तात्वीक व नैतिक अधिष्ठान प्राप्त झाले. चंद्रपूर जिल्हयातील आंबेडकरी चळवळीतील पुरूषांनी महिलांना सक्रिय सहभाग घेण्यास प्रोत्साहन दिले. समाजसुधारणा विषयक काम करणाऱ्या महिलांना बळ दिले. आवश्यक ती मदत केली. यातील बहुतेक स्त्रिया या आंबेडकरी चळवळीची पार्श्वभूमी कुटुंबातूनच प्राप्त होती. जसे तारा मेश्राम या प्रसिध्द आंबेडकरी चळवळीतील नेते पी.व्ही.मेश्राम यांच्या पत्नी तर यशोधरा पोतनवार या किशोर पोतनवार यांच्या पत्नी याज्ञवलक बोरकर यांच्या बहिण आहेत. त्यामुळे घरातूनच प्रोत्साहन मिळत गेल्यामुळे त्यांचे कार्य आणि नेतृत्व अधिकच बहरत गेले.

उद्दिष्टे:-
1. चंद्रपूर जिल्हयातील आंबेडकरी चळवळीतील स्त्रियांच्या कार्याचे अध्ययन करणे.
2. आंबेडकरी चळवळीतल स्त्रिया सामाजिक सुधारणा करण्यात अग्रेसर होत्या याविषयी अभ्यास करणे.
3. चंद्रपूर जिल्हयातील आंबेडकरवादी स्त्रियांच्या कार्याचा कोणता परिणाम झाला याबाबींचा परामर्श घेणे.

गृहितके:-
1. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रूपाने चंद्रपूर जिल्हयातील दलित स्त्री चळवळीला आत्मविश्वास व नैतिक अधिष्ठान प्राप्त झाले.
2. दलित व दलितेत्तर स्त्रियांचा आंबेडकरी चळवळीत सहभाग होता.
3. आंबेडकरवादी स्त्रियांनी सामाजिक जाणीव जागृती करून आपल्या हक्कांचा लढा दिला.
4. वर्तमानकाळात (आंबेडकरोत्तर) सुध्दा आंबेडकरी स्त्रिया चळवळीत सहभागी होतात.

संशोधन पध्दती:-
प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये प्राथमिक व दुय्यम साधनावर भर दिलेला आहे. चंद्रपूर जिल्हयातील आंबेडकरी चळवळीतील स्त्रियांचा सहभाग यावर आधारित ग्रंथ, पुस्तके, चरित्रखंड, संपादकीय ग्रंथ, मासिके इ. माहितीपर साधनांचा आढावा घेतलेला आहे.

संशोधनाचे महत्व:-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्वसमावेशक विचार करणारे महान व्यक्तिमत्व होते. त्यांनी संपूर्ण स्त्रियांना जगण्याचा भरभक्कम आधार दिला. कायद्याने संरक्षण दिले. दलित

स्त्रियांना आपल्या अधिकारांची जाणीव करून दिली. म्हणून त्या सुध्दा समाजसुधारणा करू लागल्या. चंद्रपूर जिल्हयात आंबेडकरी चळवळीत दलित स्त्रिया अग्रेसर होत्या. त्या स्त्रियांनी केलेल्या कार्याचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने सदर शोधनिबंध अत्यंत महत्वाचा आहे.

चंद्रपूर जिल्हयातील आंबेडकरी चळवळीतील निवडक महिला

1) विरेंद्राबाई तिर्थकार:-

विरेंद्राबाई ही महाराष्ट्रभर प्रसिध्द असणारी दलित महिला नेत्या होत्या. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनेक दलित चळवळीत सक्रिय सहभागी होत्या. दलित समाज परिवर्तनास त्या अग्रेसर राहील्या. चंद्रपूर जिल्हयातील सिंदेवाही येथे त्यांनी महिलावर्गात जाणीवजागृती केली. महिला मंडळ स्थापन केले. दलित स्त्रियांची मने सुसंस्कृत करण्याचे कार्य तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार घराघरात पोहचविण्याचे कार्य केले.[1] नागपूर मध्ये त्यांना जाईबाई चौधरी, राधाबाई कांबळे, अंजनीबाई देशभ्रतार, सखुबाई मेश्राम आदी स्त्री चळवळीच्या कार्यकर्त्यांची साथ मिळाली. 01 मार्च 1936 मध्ये त्यांनी 'अस्पृश्य सुधारक लग्न मंडळा'ची स्थापना, 1937 'अस्पृश्य महिला सुधारक मंडळ', इमामवाडा (नागपूर), 1934 मध्ये तुमसर (भंडारा) येथे 'महिला दलित परिषद', इ.स. 1942 मध्ये नागपूर येथे भरलेल्या अखिल भारतीय दलित महिला अधिवेशनात विरेंद्राबाई तिर्थकाराचा सहभाग होता.[2] आयुष्यभर त्या बाबासाहेबांच्या विचारांशी एकरूप होत्या. 1956 साली धर्मांतर सोहळयात त्यांचा सहभाग उत्स्फुर्तपणे होता. म्हणून फुलचंद खोबरागडे लिहितात, ''समाजाचा संसार करीत असतांना त्यांना स्वतःच्या संसाराचे भान राहीले नाही. त्या शेवटपर्यंत अविवाहित राहिल्या.[3]

2) यशोधरा पोतनवार:-

यांनी फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीला स्वतः वाहून घेतले आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मार्गाने जात स्वतः सामाजिक बंधने तोडून आंतरजातीय विवाह केला.[4] त्यांनी हुंडा पध्दतीला विरोध केला. गिरीश खोबरागडे व ॲड. एकनाथ साळवे यांच्यासोबत त्यांनी सामाजिक कार्यात सहभाग घेतला. त्यांनी 'पुरोगामी महिला समिती'ची स्थापना केली. माधुरी शेंडे बलात्कार प्रकरणात अत्याचारग्रस्त महिलांस न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी खाण मजुर स्त्रिया, वेठबिगार महिलांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला.[5] महिलांची स्थिती बदलण्यासाठी त्यांना चंद्रपूर जिल्हयातील समाजसेवक व त्यांचे पती किशोर पोतनवार यांची मदत झाली.

3) तारा मेश्राम:-

चंद्रपूर जिल्हयातील आंबेडकरवादी नेतृत्व बॅरि. राजाभाऊ खोबरागडे यांचा प्रभाव तारा मेश्राम यांच्यावर होता. परिणामी बाबासाहेबांचे कार्य व दलितांचे प्रश्न, समस्या पोटतिडकीने मांडत असत. दलित पँथरमध्ये सुध्दा त्यांनी काम केले. चंद्रपूर जिल्हयात आंबेडकर जयंती, बौध्द जयंती व महापरिनिर्वाण दिन असे कार्यक्रम आयोजन करणे, प्रचार-प्रसार करणे, त्यांनी अनेक महिलांची एकजुट करून कार्य केले. आंबेडकरोत्तर चळवळीत भारतीय बौध्द महासभेच्या अध्यक्ष होत्या.[6] तसेच तारा मेश्राम यांची वाघमारे कांड, खैरलांजी प्रसंग, आंबेडकर महाविद्यालय जळीत प्रकरण अशा अनेक प्रसंगात महत्वाची भुमिका राहिली आहे.

4) यशोदाबाई बोरकर:-

यशोदाबाई बोरकर चंद्रपूर जिल्हयाच्या सामाजिक कार्यात अग्रेसर होत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रिपब्लीकन पक्षाचे सभासदत्व त्या काळात त्यांनी स्विकारले होते. 1964 मधील भुमिहीन सत्याग्रह सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे कार्य यशोदाबाई बोरकर यांनी केले. त्यापूर्वी 16 ऑक्टोबर 1956 मधील धम्मचक्र प्रवर्तन सोहळयात चंद्रपूर जिल्हयातील अनेक महिलांना त्यांनी संघटीत केले.[7] मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलनात त्यांचा सक्रीय सहभाग होता. प्रसंगी त्यांना कारावास सुध्दा झाला.

5) प्रा. विमल गाडेकर:-

चंद्रपूर जिल्हयातील सुप्रसिध्द कवियत्री व लेखिका म्हणून प्रा. विमल गाडेकर यांना ओळखल्या जाते. त्यांनी स्काऊट गाईड, बौध्द महासभेच्या उपाध्यक्ष, सुरक्षा समिती सदस्य इ. पदांचा कार्यभार सांभाळला. महिलांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, मानसिक, भावनिक उन्नतीसाठी आणि महिलांसाठी 'संयुक्त महिला मंच' नावाची संघटना स्थापन करण्यात आली.8 चंद्रपूर जिल्हयातील अनेक समस्याग्रस्त दलित महिलांचे प्रश्न त्यांनी सोडविले. आदिवासी स्त्रियांच्या शिक्षणाबाबत विशेष आस्था होती.

6) सुगंधा शेंडे:-

सुगंधा शेंडे यांचा पिंड साहित्याचा होता. तत्कालीन प्रबुध्द भारत, जनता मधून त्या लेख लिहीत असत. 1970 मध्ये त्यांनी 'विरतं धुकं' नावाचा काव्यसंग्रह प्रसिध्द केला. हा पहिला दलित काव्यसंग्रह आहे. ऑल इंडिया विमेन्स ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून दलितांचे प्रश्न सोडवित असत. त्यांनी वैदर्भिय लेखिका संघाची स्थापना

केली. त्यांचे लेखन दलित समाजात जागृती करणारे होते. महिलांमध्ये आत्मभान व स्वाभिमान जागृत करण्याचे काम त्यांनी केले.९

याशिवाय शांताई आटुबूवा दुधे, ज्योती जीवने यांनी दलित महिलांची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिती सुधारण्याचा, त्यांचे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी निष्ठेने कार्य केले. परिणामी महाराष्ट्रात चंद्रपूर जिल्हयात स्त्रियांच्या प्रश्नाला वाचा फोडणारी महिला शक्ती, नेतृत्व प्रभावी होते.

निष्कर्ष:-

कोणत्याही चळवळीचे यश-अपयश हे त्या चळवळीस लाभलेल्या नेतृत्वावर अवलंबून होते. चंद्रपूर जिल्हयात महिलांची दलित चळवळ गतिमान करण्याचे कार्य तडफदार व कर्तृत्ववान स्त्रियांनी केले. आंबेडकरोत्तर दलितांचे मेळावे घेणे, संघटन तयार करणे, वैचारिक लढे उभे करणे, दलित महिलात अभुतपूर्व जाणिव-जागृती करणे इत्यादी कार्य ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागात केले. परिणामी चंद्रपूर जिल्ह्यात आंबेडकरी विचारांचे जनआंदोलन उभे राहीले.

संदर्भ ग्रंथ:-

1) बडोदेकर रेखा - विदर्भातील दलित चळवळीतील स्त्रिया प्रस्तावना डॉ. संतोष बनसोड, पृ.03

2) कित्ता बडोदेकर पृ.10

3) खोबरागडे फुलचंद यांची प्रत्यक्ष घेतलेली मुलाखत, दि. 18/05/2022

4) शौर्यगाथा भिमसैनिकांची विशेषांक - पृ. 43

5) यशोधरा किशोर पोतनवार यांची प्रत्यक्ष घेतलेली मुलाखत, 12 जून 2022

6) पी.व्ही. मेश्राम यांची प्रत्यक्ष घेतलेली मुलाखत, 27 मे 2022

7) हिरकणी विशेषांक - पृ. 31

8) सायंकाळा आंबेडकरी चळवळ विशेषांक - पृ. 22

9) तेलंग खुशाल यांची प्रत्यक्ष घेतलेली मुलाखत, 09 मे 2022

Chief Editor

P. R. Talekar

Secretary,

Young Researcher Association, Kolhapur(M.S), India

Editorial & Advisory Board

Dr. S. D. Shinde	Dr. M. B. Potdar	Dr. P. K. Pandey
Dr. L. R. Rathod	Mr. V. P. Dhulap	Dr. A. G. Koppad
Dr. S. B. Abhang	Dr. S. P. Mali	Dr. G. B. Kalyanshetti
Dr. M. H. Lohgaonkar	Dr. R. D. Bodare	Dr. D. T. Bornare